रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 14, 1986/ज्येष्ठ 24, 1908

No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 14, 1986/JYAISTHA 24, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 30 मई, 1986

आदेश

का.आ. 2228.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश सरकार की सहमति से, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार, (i) श्री राजेश भटनागर की सन्देहास्पद मृत्यु का, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 174 के अधीन, दुर्घटना-जन्य मृत्यु सं. 10/86 के रूप में रजिस्टर की गई है, अन्वेषण करने के लिए और उन परिस्थितियों की अन्वेषण करने के लिए जिनमें उक्त मृत्यु हुई है; तथा (ii) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की सुसंगत धाराओं के अधीन किसी अपराध तथा उक्त अपराध या अपराधों की बाबत या उनके सम्बन्ध में प्रयत्नों और षड़यन्त्रों का अन्वेषण करने के लिए, सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य पर करती है।

[सं. 228/13/86-ए.वी.डी.-II]

के. आर. गोपालराव, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 30th May, 1986

ORDER

S.O. 2228.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5, read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government, with the consent of the Government of Madhya Pradesh, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Madhya Pradesh (i) for conducting investigation of suspicious death registered as accidental death No. 10/86 at Police Station Padao, District Gwalior under section 174 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and into the circumstances leading to the death of Shri Rajesh Bhatnagar; and (ii) to register any offence and investigate the same under the relevant sections of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) and attempts and conspiracies in relation to or in connection with the said offence or offences.

[No. 228/13/86-AVD. II]

K. R. GOPALA RAO, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1986

आयकर

का. आ. 2229.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ "हमदर्द दवाखाना (वक्फ)" को कर-निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1987-88 तक अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[संख्या 6590 (फा.सं. 197/124/83-आ.क.नि.I]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 11th February, 1986

(INCOME-TAX)

S.O. 2229.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Hamdard Dawakhana (Wakf)" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1984-85 to 1987-88.

[No. 6590 (F. No. 197/124/83-II (AI)]

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1986

(आयकर)

का.आ. 2230.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "उक्त धारा के प्रयोजनार्थ" मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, मद्रास" को कर-निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1986-87 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है ।

[सं. 6593 (फा.सं. 197/169/85-आ.क. (नि.I)]

New Delhi, the 12th February, 1986

(INCOME-TAX)

S.O. 2230.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Medical Research Foundation, Madras" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1984-85 to 1986-87.

[No. 6593 F. No. 197/169/85-IT (AI)]

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1986

(आय कर)

का.आ. 2231.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "विवेकानन्द राक मेमोरियल एंड विवेकानन्द केन्द्र, मद्रास" को कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 से 1988-89 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है ।

[सं. 6599 (फा.सं. 197/119/85-आ.क. (नि.I)]

New Delhi, the 24th February, 1986

(INCOME-TAX)

S.O. 2231.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Vivekananda Rock Memorial and Vivekananda Kendra, Madras" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1986-87 to 1988-89.

[No. 6599 F. No. 197/119/85-IT (AI)]

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1986

(आयकर)

का. आ. 2232.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "सोसाइटी फॉर प्रोमोशन ऑफ वेस्ट लेण्डस डेवलपमेंट" को कर-निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1986-87 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6605 (फा.सं. 197/2/86-आ.क.(नि.-I)]

New Delhi, the 26th February, 1986

(INCOME-TAX)

S.O. 2232.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Society For Promotion of Waste-lands Development" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1983-84 to 1986-87.

[No. 6605 F. No. 197/2/86-IT (AI)]

आयकर

का. आ. 2233.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त धारा के प्रयोजार्थ, "असम राइफल्स समूह बीमा योजना" को करनिर्धारण-वर्ष 1982-83 से 1986-87 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6606 (फा. सं. 197/190/83-आ.क.(नि.-I)]

(INCOME-TAX)

S.O. 2233.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Assam Rifles Group Insurance Scheme" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1986-87.

[No. 6606 F. No. 197/190/83-IT (AI)]

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1986

शुद्धिपत्र

(आयकर)

का. आ. 2234.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, दिनांक 2-4-1985 की अपनी अधिसूचना सं. 6182 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

"पिपुल्स एक्शन फॉर डिवैलपमेंट (इंडिया) महाराष्ट्र स्टेट कमेटी" के स्थान पर" "पिपुल्स एक्शन फार डिवैलपमेंट (महाराष्ट्र)" पढ़ें।

[सं. 6621 (फा. सं. 197/113/82-आ.क.(नि.-I)]

New Delhi, the 17th March, 1986

CORRIGENDUM

(INCOME-TAX)

S.O. 2234.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby

makes the following amendment in its notification No. 6182 dated 2-4-1985.

FOR—"People's Action for Development (India) Maharashtra State Committee".

READ—"People's Action for Development (Maharashtra)".

[No. 6621 F. No. 197A/113/82-IT (AI)]

(आय कर)

का. आ. 2235.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "दि कासजी जहांगीर चेरिटेबल ट्रस्ट, बम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1986-87 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6622(फा.सं. 197/180/85-आ.क.(नि.-I)]

(INCOME-TAX)

S.O. 2235.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Cowasjee Jehangir Charitable Trust, Bombay" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1984-85 to 1986-87.

[No. 6622 F. No. 197/180/85-IT (AI)]

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1986

(आय कर)

का. आ. 2236.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "दि थियोसोफिल सोसाइटी, अड्यार, मद्रास" को कर-निर्धारण वर्ष 1987-88 से 1989-90 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6643 (फा. सं. 197/122/85-आ.क.(नि.-I)]

New Delhi, the 4th April, 1986

(INCOME-TAX)

S.O. 2236.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Theosophical Society, Adyar, Madras" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1987-88 to 1989-90.

[No. 6643 F. No. 197/122/85-IT (AI)]

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1986

(आय कर)

का. आ. 2237.—आयकर अधिनियम, 1971 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "जर्मन लेपरोसी रिलीफ एसोसिएशन रिहेबिलिटेशन फंड" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6659 (फा. सं. 197/21/85-आ.क. (नि.-I)]

New Delhi, the 9th April, 1986

(INCOME-TAX)

S.O. 2237.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "German Leprosy Relief Association Rehabilitation Fund" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6659 F. No. 197/21/85-IT (AI)]

(आय कर)

का.आ. 2238.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "गुजरात मुख्यमंत्री सहायता कोष" को कर निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1986-87 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6660 (फा. सं. 197/11/84-आ. क. (नि.-I)]

(INCOME-TAX)

S.O. 2238.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Gujarat Chief Minister's Relief Fund" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1984-85 to 1986-87.

[No. 6660 F. No. 197/11/84-IT (AI)]

(आय कर)

का.आ. 2239.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "रेल परिवहन संस्थान" को कर-निर्धारण-वर्ष 1986-87 से 1988-89 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिये अधिसूचित करती है।

[सं. 6661 (फा. सं. 197/130/85-आ.क.(नि.-I)]

(INCOME-TAX)

S.O. 2239.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Institute of Rail Transport" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1986-87 to 1988-89.

[No. 6661 F. No. 197/130/85-IT (AI)]

(आय कर)

का.आ. 2240.—आयकर अधिनयम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ "अंधे व्यक्तियों हेतु प्रौढ़ प्रशिक्षण केन्द्र (न्यास)" को कर-निर्धारण-वर्ष 1983-84 से 1986-87 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6663 (फा.सं. 197/74/84-आ.क.(नि.I)]

आर. के. तिवारी, अवर सचिव

(INCOME-TAX)

S.O. 2240.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Adult Training Centre (Trust) for the Blind" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1983-84 to 1986-87.

[No. 6663 F. No. 197/74/84-IT (AI)]

R. K. TEWARI, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1986

(आय कर)

का. आ. 2241.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उप-धारा (23ग) के उपखंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "कलकत्ता जोरोस्ट्रियन कम्युनिटीज रिलिजियस एंड चैरिटी फंड्स" को कर-निर्धारण वर्ष

1985-86 से 1987-88 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6682/फा.सं. 197/17/86-आ.क. (नि.I)]

New Delhi, the 21st April, 1986

(INCOME-TAX)

S.O. 2241.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Calcutta Zoroastrian Community's Religious and Charity Funds" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6682/F. No. 197/17/86-IT (AI)]

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1986

(आयकर)

का.आ. 2242.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "चुरलट बाल कल्याण सोसाइटी" को कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 से 1988-89 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6632/फा.सं. 197/64/85-आ.क./नि.I)]

New Delhi, the 25th March, 1986

(INCOME-TAX)

S.O. 2242.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Churlat Children's Welfare Society" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1986-87 to 1988-89.

[No. 6632/F. No. 197/64/85-IT (AI)]

नई दिल्ली, 20 मई, 1986

(आयकर)

का. आ. 2243.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23ग) के उपखण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "द मुंचरजी नौरोजी बानाजी इंडस्ट्रियल होम फॉर द ब्लाइण्ड बाम्बे" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6711/फा.सं. 197/ए/288/82-आ.क. (नि.I)]

New Delhi, the 20th May, 1986

(INCOME-TAX)

S.O. 2243.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Muncherjee Nowrojee Banajee Industrial Home for the Blind, Bombay" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6711/F. No. 197A/288/82-IT (AI)]

(आयकर)

का. आ. 2244.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "सर्वेन्ट्स आफ इंडिया सोसाइटी, पुणे," को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6712/फा. सं. 197-ए/5/82-आ.क. (नि-I)]

(INCOME-TAX)

S.O. 2244.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Servants of India Society, Pune" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6712/F. No. 197A/5/82-IT (AI)]

(आयकर)

का.आ. 2245.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनार्थ "अमलगमेटिड तमिल नाडु शेयर्स ऑफ पोस्ट-वार सर्विसिज रिकंस्ट्रैक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ एक्स-सर्विस मेन फण्ड" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6713/फा. सं. 197-ए/70/82-आ. क. (नि. I)]

(INCOME-TAX)

S.O. 2245.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Amalgamated Tamil Nadu Shares of Post-War Services Reconstruction and Rehabilitation of Ex-servicemen Fund" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6713/F. No. 197A/70/82-IT (AI)]

(आयकर)

का.आ. 2246.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड 7 (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन, कलकत्ता" को कर-निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1987-88 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[स. 6714/फा. सं. 197/35/83-आ. क. (नि. I)]

(INCOME-TAX)

S.O. 2246.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Raja Rammohan Roy Library Foundation, Calcutta" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1984-85 to 1987-88.

[No. 6714/F. No. 197/35/83-IT (AI)]

(आयकर)

का.आ. 2247.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "तमिलनाडु एक्सर्विसिज पर्सोनल बेनिवोलेंट फण्ड, मद्रास", को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6715/फा. सं. 197/13/85-आ. क. (नि.-I)]

(INCOME-TAX)

S.O. 2247.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Tamil Nadu Ex-services Personnel Benevolent Fund, Madras" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6715/F. No. 197/13/85-IT (AI)]

(आयकर)

का. आ. 2248.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "हैल्पेज इंडिया" को कर-निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1987-88 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6716/फा. सं. 197/201/83-आ. क. (नि. I)]

(INCOME-TAX)

S.O. 2248.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Helpage India" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1984-85 to 1987-88.

[No. 6716/F. No. 197/201/83-IT (AI)]

(आयकर)

का. आ. 2249.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "विलियम केरे स्टडी एंड रिसर्च, कल्कत्ता" को कर निर्धारण-वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6717/फा.सं. 197-ए/21/82-आ.क. (नि. I)]

(INCOME-TAX)

S.O. 2249.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "William Carey Study & Research Centre, Calcutta" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6717/F. No. 197A/21/82-IT (AI)]

शुद्धि-पत्र

का.आ. 2250.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अपनी दिनांक 29-11-1985 की अधिसूचना सं. 6515 में मन्दिर का नाम सही करती है। "श्री पद्मनाभस्वामी टैम्पल ट्रस्ट, त्रिवेन्द्रम" के स्थान पर "श्री पद्मनाभस्वामी टैम्पल, त्रिवेन्द्रम" पढ़ें।

[सं. 6718/फा.सं. 197-ए/131/83-आ.क. (नि. I)]

CORRIGENDUM

S.O. 2250.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Ceutral Government hereby correct the name of temple in its notification No. 6515, dated 29-11-1985.

For "Sree Padmanabhaswamy Temple Trust, Trivandrum"

Read "Sri Padmanabhaswamy Temple, Trivandrum"

[No. 6718/F. No. 197A/131/82-IT (AI)]

(आयकर)

का.आ. 2251.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (v) द्वारा प्रदत्त, शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "फेडरेशन ऑफ पारसी जोरोस्ट्रियन अन्जुमन्स ऑफ इण्डिया", को कर-निर्धारण वर्ष 1987-88 से 1988-89 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6725/फा.सं. 197/75/86-आ.क. (नि. I)]

(INCOME-TAX)

S.O. 2251.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Federation of Parsi Zeroastrian Anjumans of India" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1987-88 to 1988-89.

[No. 6725/F. No. 197/75/86-IT (AI)]

(आयकर)

का. आ. 2252.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23ग) के उपखंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "श्री अहोबिला मट्ट, तामिल नाडु" को कर-निर्धारण-वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6720/फा.सं. 197/ए/160/82-आ.क. (नि. I)]

पी. सक्सेना, उपसचिव

(INCOME-TAX)

S.O. 2252.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Ahobila Mutt, Tamil Nadu" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6720/F. No. 197A/160/82-IT (AI)]

P. SAXENA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1986

(आयकर)

का.आ. 2253.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (43क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सभी पिछली अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आयकर आयुक्तों को कर वसूली आयुक्तों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भी प्राधिकृत करती है :—

क्रम सं.	नाम	अधिकार क्षेत्र
1	2	3
1.	आयकर आयुक्त	पुणे
2.	—यथोपरि—	कोल्हापुर
3.	—यथोपरि—	नासिक
4.	—यथोपरि—	विदर्भ, नागपुर
5.	—यथोपरि—	जयपुर
6.	—यथोपरि—	जोधपुर
7.	—यथोपरि—	पटियाला
8.	—यथोपरि—	अमृतसर
9.	—यथोपरि—	जालन्धर
10.	—यथोपरि—	हरियाणा, रोहतक
11.	—यथोपरि—	पटना
12.	—यथोपरि—	रांची
13.	—यथोपरि—	लखनऊ
14.	—यथोपरि—	आगरा
15.	—यथोपरि—	इलाहाबाद
16.	—यथोपरि—	मेरठ
17.	—यथोपरि—	कानपुर
18.	—यथोपरि—	भोपाल
19.	—यथोपरि—	जबलपुर
20.	—यथोपरि—	कोचीन

1	2	3
21.	आयकर आयुक्त	तिरुवेन्नम
22.	—यथोपरि—	कर्नाटक, I, II, III (बंगलौर)
23.	—यथोपरि—	आन्ध्र प्रदेश I, II तथा III (हैदराबाद)
24.	—यथोपरि—	विशाखापत्तनम
25.	—यथोपरि—	उड़ीसा, भुवनेश्वर
26.	—यथोपरि—	एन.ई आर., शिलांग
27.	आयकर आयुक्त (सेंट्रल)	कानपुर
28.	—यथोपरि—	कर्नाटक
29.	—यथोपरि—	लुधियाना

[सं. 6680/फा.सं. 398/22/84-आ.क.(ब)]

New Delhi, the 21st April, 1986.

(INCOME-TAX)

S.O. 2253.— In exercise of the powers conferred by clause (43B) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of all previous Notifications on the subject issued by the Central Government from time to time, the Central Government hereby authorises the following Commissioners of Income-tax to exercise the powers of Tax Recovery Commissioners also :—

Sl. No.	Name	Charge
1	2	3
1.	Commissioner of Income-tax	Pune
2.	-do-	Kolhapur
3.	-do-	Nasik
4.	-do-	Vidarbha, Nagpur
5.	-do-	Jaipur
6.	-do-	Jodhpur
7.	-do-	Patiala
8.	-do-	Amritsar
9.	-do-	Jullundar
10.	-do-	Haryana, Rohtak
11.	-do-	Patna
12.	-do-	Ranchi
13.	-do-	Lucknow
14.	-do-	Agra
15.	-do-	Meerut
16.	-do-	Kanpur
17.	-do-	Allahabad
18.	-do-	Bhopal
19.	-do-	Jabalpur
20.	-do-	Cochin
21.	-do-	Trivandrum
22.	-do-	Karnataka, I, II, III (Bangalore)
23.	-do-	A.P., I, II & III
24.	-do-	Vishakhapatnam
25.	Commissioner of Income-tax	Orissa, Bhubaneshwar.
26.	-do-	NER, Shillong
27.	Commissioner of Income-Tax (Central)	Kanpur
28.	-do-	Karnataka
29.	-do-	Ludhiana

[No. 6680/F.No. 398/22/84-IT(B)]

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1986

(आयकर)

का.आ. 2254.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड 44 के उपखंड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 14-12-83 की अधिसूचना संख्या 5527 (फा.सं. 398/18/83-आ.क.(ब.) का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एम.आर. जयरामन को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना, श्री एम. आर. जयरामन द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी।

[सं. 6686/फा.सं. 398/8/86-आ.क. (ब.)]

New Delhi, the 25th April, 1986

(INCOME-TAX)

S.O. 2254.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 5527 (F. No. 398/18/83-IT(B) dated the 14-12-83, the Central Government hereby authorises Shri M. R. Jayaraman, being a Gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri M. R. Jayaraman takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 6686/F. No. 398/8/86 IT (B)]

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1986

(आयकर)

का.आ. 2255.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 10-4-85 की अधिसूचना सं. 6186/फा.सं. 398/7/85-आ.क. (ब) का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री बी.डी. कालेर को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना, श्री बी.डी. कालेर द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी।

[सं. 6689/फा.सं. 398/6/86-आ.क. (ब.)]

बी.ई. अलैक्जैंडर, अवर सचिव

New Delhi, the 28th April, 1986

(INCOME-TAX)

S.O. 2255.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 6186 (F. No. 398/

7/85 IT(B) dated the 10-4-85, the Central Government hereby authorises Shri B. D. Kaler, being a Gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri B. D. Kaler, takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 6689 F. No. 398/5/86-IT(B)]

B. E. ALEXANDER, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 मई, 1986

आदेश

स्टाम्प

का.आ. 2256.— भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा रेलीज इंडिया लिमिटेड, बम्बई को मात्र एक लाख सतासी हजार पांच सौ रुपये के उस समेकित स्टाम्प शुल्क की अदायगी करने की अनुमति प्रदान करती है, जो उक्त कम्पनी द्वारा जारी किए जाने वाले दो करोड़ पचास लाख रुपये के अंकित मूल्य के क्रम संख्या 1 से 2,50,000 तक के ऋणपत्रों के 15 प्रतिशत (1989) प्रतिरक्षित असम्परिवर्तनीय ऋण पत्रों पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है ।

[संख्या 20/86-स्टाम्प-फा.सं. 33/30/86-वि.क.]

New Delhi, the 26th May, 1986

ORDER

STAMPS

S.O. 2256.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the Rallis India Limited, Bombay to pay consolidated stamp duty of rupees one lakh eighty seven thousand and five hundred only, chargeable on account of the stamp duty on 15 per cent (1989) secured non-convertable debentures bearing serial Nos. 1 to 2,50,000 bonds in the form of debentures of the face value of rupees two crores and fifty lakhs to be issued by the said company.

[No. 20/86-Stamps-F. No. 33/30/86-ST]

आदेश

स्टाम्प

का.आ. 2257.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जिसके साथ कर्नाटक राज्य वित्त निगम बंगलौर द्वारा संख्या "36" तथा "37" के प्रामिसरी नोट के रूप में जारी किए जाने वाले तथा मात्र बावन लाख रुपये पचास हजार रुपये के मूल्य के "9.75 कर्नाटक राज्य वित्त निगम बंध-पत्र 1999" के यथा वर्णित बंध पत्र उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है ।

[संख्या 19/86-स्टाम्प-फा.सं. 33/26/86-वि.क]

ORDER

STAMPS

S.O. 2257.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of subsection (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of promissory notes bearing the number "36" and "37" and described as "9.75 Karnataka State Financial Corporation Bonds 1999" of the value of rupees Fifty-two lakhs and fifty thousand only to be issued by Karnataka State Financial Corporation, Bangalore are chargeable under the said Act.

[No. 19/86-Stamp F. No. 33/26/86-ST]

नई दिल्ली, 28 मई, 1986

आदेश

स्टाम्प

का.आ. 2258.— भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है, जो कर्नाटक राज्य वित्त निगम, बंगलौर द्वारा केवल चार सौ सड़सठ लाख पचास हजार रुपये के मूल्य के संख्या "35" वाले तथा "9.75 प्रतिशत कर्नाटक राज्य वित्त निगम बंध-पत्र 1999" के रूप में उल्लिखित प्रामिसरी नोटों के रूप में जारी किए जाने वाले बंध-पत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है ।

[संख्या 21/86-स्टाम्प फा.स. 33/25/86-वि.क.]

New Delhi, the 28th May, 1986

ORDER

STAMPS

S.O. 2258.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of Promissory notes bears the number '35' and described as "9.75 percent Karnataka State Financial Corporation Bonds 1999", to the value of Four hundred sixty seven lakhs and fifty thousand rupees only to be issued by the Karnataka State Financial Corporation, Bangafore, are chargeable under the said Act.

[No. 21/84-Stamps-F. No. 33/25/86-ST]

आदेश

स्टाम्प

का.आ. 2259.— भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड, कलकत्ता को मात्र सोलह लाख पचास हजार रुपये के उस समेकित स्टाम्प शुल्क की अदायगी करने की अनुमति प्रदान करती है, जो उक्त कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले बाईस करोड़ रुपये के अंकित मूल्य के "15 प्रतिशत प्रतिरक्षित विमोच्य असम्परिवर्तनीय ऋणपत्र, 1986" पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है ।

[संख्या 22/86-स्टाम्प फा.सं. 33/21/86-वि.क.]

बी.आर. मेहमी, अवर सचिव

ORDER

STAMPS

S.O. 2259.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the East India Hotels, Limited Calcutta, to pay consolidated stamp duty of rupees sixteen lakhs and fifty thousand only, chargeable on account of the stamp duty on "15 per cent secured Redeemable Non-convertible Debentures, 1986" of the fact value of rupees twenty two crores to be issued by the said Company.

[No. 22/86-Stamps-F. No. 33/21/86-ST]

B. R. MEHMI, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, 10 जून, 1986

सं. 337/86-सीमा शुल्क

का. आ. 2260.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्वालियर शहर को जो मध्य प्रदेश राज्य में ग्वालियर जिले के ग्वालियर नगर निगम की अधिकारिता के अंतर्गत आता है, भाण्डागार स्टेशन घोषित करता है।

[फा. सं. 473/55/81-सीमा शुल्क 7]

संदीप जोशी, अवर सचिव

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

New Delhi, the 10th June, 1986

NOTIFICATION

No. 337/86-CUSTOMS

S.O. 2260.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares Gwalior City within the jurisdiction of the Gwalior Municipal Corporation in District Gwalior in the State of Madhya Pradesh, to be a werehousing station.

[F. No. 473/55/86-CUS. VII]

SANDEEP JOSHI, Under Secy.

Central Board of Excise and Customs

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 29 मई, 1986

का.आ. 2261.—भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कृष्णाराम बलदेव बैंक लि. के कारबार के अधिग्रहण से संबंधित दिनांक 22-2-74 को सरकार द्वारा जारी किये गए आदेश की शर्तों तथा निबंधनों की धारा 5(4) तथा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के खण्ड 35 के उपखण्ड (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कृष्णाराम बलदेव बैंक लि. को वसूल न की गई परिसम्पत्तियों के अंतिम मूल्यांकन की समय सीमा को 19 अप्रैल, 1986 से 18 अप्रैल, 1987 (दोनों दिन शामिल हैं) तक की एक वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ाती है।

[संख्या 17/1/84-बी ओ-III]

एम.एस. सीतारामन, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 29th May, 1986

S.O. 2261.—In pursuance of clause 5(IV) of the Terms and Conditions sanctioned by the Central Government under an order dated the 22nd February 1974 relating to the acquisition by the State Bank of India of the business of Krishnaram Baldeo Bank Ltd., and in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 35 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government hereby extends the time limit for final valuation of the unrealised assets of the Krishnaram Baldeo Bank Ltd., for a further period of one year from 19th April 1986 to the 18th April 1987, both days inclusive.

[No. 17/1/84-B. O. III]

M. S. SEETHARAMAN, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय

कलकत्ता, 20 मार्च, 1986

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

अधिसूचना सं. 2/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 1986

का.आ. 2262.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, मैं, श्री सी. भुजंगस्वामी, समाहर्ता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कलकत्ता-1, कलकत्ता, इसके द्वारा सहायक समाहर्ताओं को उनके सम्बन्धित कार्यक्षेत्रों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944, नियम 173 सी (ii) के अधीन की समाहर्ता की शक्ति के प्रयोग को प्राधिकृत करता हूं।

लेकिन, सहायक समाहर्ता द्वारा उल्लिखित शक्ति का प्रयोग लघु क्षेत्र के अधीन आने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मूल्यनिर्धारिती के लिए प्रतिबन्धित किया गया है।

[सी.सं. 4(8) 1/के.उ./कल-1/85]

सी. भुजंगस्वामी, समाहर्ता

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE

Calcutta, the 20th March, 1986

CENTRAL EXCISE

Notification No. 2/Central Excise/1986

S.O. 2262.—In exercise of the powers conferred upon me by Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I, Shri C. Bhujangaswamy, Collector of Central Excise, Calcutta : I, Calcutta, hereby authorise the Assistant Collectors to exercise within their respective jurisdictions the powers of the Collector under Rule 173C(II) of the Central Excise Rules, 1944.

Provided that the exercise of the said power by the Assistant collector should be restricted to the Central Excise assessees falling in the Small Scale Sector.

[C. No. IV (8) 1-CE/Cal.I/85]

C. BHUJANGASWAMY, Collector.

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता का कार्यालय

गुन्टूर, 4 अप्रैल, 1986

अधिसूचना संख्या 2/86

का.आ. 2263—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 5 के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं नियम के अधीन स्वयं में निहित शक्तियों को, कालम 3 में पदनामित अधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में प्रयोग किए जाने के लिए प्रत्यायोजित करता हूं।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	प्रत्यायोजित/सौंपी गयी शक्तियों का स्वरूप	अधिकारी जिसे प्रत्यायोजित किया गया है	सीमाएं
नियम 173 सी-11	मूल्य निर्धारण के लिए कीमत सूचियों के बदले में गेट पास एक्साइस नोट अथवा चालान में उद्धृत कीमत (तों) को स्वीकार करने की शक्ति।	सहायक समाहर्ता	ये शक्तियां दिनांक मार्च 1986 की अधिसूचना सं. 175/86 सी.ई. में निहित लघु उद्योग निर्माताओं के संबंध में केवल सहायक समाहर्ताओं द्वारा प्रयोग की जाती है।

OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE

Guntur, the 4th April, 1986

NOTIFICATION No. 2/86

S.O.2263 :—In exercise of the powers conferred on me under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I declare the powers vested in me under the rule detailed below to the officers designated in column 3 to be exercised within their respective jurisdiction.

Central Excise	Nature of power delegated.	Officer to whom delegated	Limitations
(1)	(2)	(3)	(4)
Rule-173C(II)	Power to accept price(s) quoted in gatepass, advice note or challan in lieu of price lists for purposes of assessment.	Asstt. Collector	These powers have to be exercised by Asstt. Collectors only in respect of Small Scale Manufacturers covered by Notfn. No. 175/86 -CE, dt. 1-3-1986.

गुन्टूर 13 फरवरी, 1986

अधिसूचना सं. 1/86

का.आ. 2264—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं उसके द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली 1944 के नियम 173–एच के अधीन गुन्टूर समाहर्तालय के केन्द्रिय उत्पादन शुल्क के मंडलों के प्रभारी सहायक समाहर्ताओं को, मुझमें निहित शक्तियां प्रत्यायोजित करता हूं।

[सी.सं. 4/16/21/86-एम.पी. 2]

आर. गोपालनाथन, समाहर्ता

Guntur, the 13th February, 1986.

NOTIFICATION NO. 1/86

S.O. 2264.—In exercise of the powers conferred upon me under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I hereby delegate the powers vested in me under rule 173-H of the Central Excise Rules, 1944 to the Assistant Collector of Central Excise Incharge of divisions in Guntur Collectorate.

[File C. No. IV/16/21/86-M.P.-2]

R. GOPALNATHAN, Collector.

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 जून, 1986

आदेश

का. आ. 2265—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऊष्मसह ईंटों को निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन लाने के लिए कतिपय प्रस्ताव, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2516, तारीख 22 अगस्त, 1966 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. 5589, तारीख 14 दिसम्बर, 1985 के अंतर्गत निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र भाग-2, खंड-3, उपखंड - (ii) तारीख 14 दिसम्बर 1985 में प्रकाशित किए गए थे ;

और उन सभी व्यक्तियों से, जिनके इनसे प्रभावित होने की संभावना थी, आक्षेप तथा सुझाव उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 45 दिन के भीतर आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 20 दिसम्बर, 1985 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रस्तावों पर जनता से प्राप्त आक्षेप तथा सुझाव प्राप्त हो गए हैं तथा उन पर विचार कर लिया गया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के पश्चात यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है, –

(1) अधिसूचित करती है कि उपाबंध में निर्दिष्ट ऊष्मसह ईंटें निर्यात किए जाने से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगी ;

(2) ऊष्मसह ईंटें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1986 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो ऐसी ऊष्मसह ईंटों पर निर्यात से पूर्व लागू किया जाएगा ;

(3) (क) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों तथा निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य निकायों के मानकों को मान्यता देती है ;

(ख) ऊष्मसह ईंटों के लिए निर्यातक्रेता द्वारा घोषित विनिर्देशों को विदेशी क्रेता और निर्यातकर्ता के बीच निर्यात संविदा में करार पाए गए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देती है।

टिप्पण :

(i) जब निर्यातकर्ता संविदा में तकनीकी अपेक्षाओं को ब्यौरेवार उपदर्शित नहीं किया गया हो या वह केवल नमूनों पर आधारित हो तो निर्यातकर्ता लिखित विनिर्देश देगा ;

(ii) परीक्षण की प्रणाली सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होगी।

(4) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसे ऊष्मसह ईंटों के निर्यात का तब तक प्रतिषेध करती है जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से किसी एक के द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि ऊष्मसह ईंटें क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से संबंधित शर्तों को पूरा करती हैं तथा निर्यात योग्य हैं।

2. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को भूमि, समुद्री या वायु मार्ग से ऊष्मसह ईंटों के उन वास्तविक नमूनों के निर्यात पर लागू नहीं होंगी जिनका पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 1000 रु. से अधिक नहीं है।

3. इस आदेश में "ऊष्मसह ईंटों" से इस आदेश के उपाबंध में उल्लिखित किसी भी आकार की ऊष्मसह ईंटों में से कोई भी अभिप्रेत है।

उपाबंध

इस आदेश में "ऊष्मसह ईंटों" से निम्नलिखित में से कोई अभिप्रेत है:-

1. अग्निमिट्टी की ऊष्मसह ईंटें।
2. आधारी ऊष्मसह ईंटें।
3. सिलिका ऊष्मसह ईंटें।
4. अम्लीय ऊष्मसह ईंटें।
5. सिलिमेनाईट ईंटें।
6. उच्च एल्यूमिना ईंटें।
7. ऊष्मारोधी ईंटें।

[फा. सं. 6/16/83 - ई आई एंड ई पी]

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 14th June, 1986

ORDER

S.O. 2265.—Whereas for the development of the export trade of India certain proposals for subjecting Refractory Bricks to quality control and inspection prior to export in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 2516, dated the 22nd August, 1966, except in respect of things done or omitted to be done, before such supersession, were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 14th December, 1985 under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 5589, dated the 14th December, 1985;

And whereas the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby within 45 days of the publication of the said Order in Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 20th December, 1985;

And whereas objections or suggestions have been received from the public on the said draft proposals and have been considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consultation with the Export Inspection Council, being of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby :—

(1) Notifies that refractory bricks mentioned in Annexure shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) Specifies the type of quality control and inspection in accordance with the export of Refractory Bricks, (Quality Control and Inspection) Rules, 1986 as the type of quality control and inspection which shall be applied to such Refractory Bricks to export;

(3) recognises :—

(a) National and International standards and standards of other bodies recognised by Export Inspection Council.

(b) The specifications declared by the exporter to be the agreed specifications of the export contract between the foreign buyer and the exporter as the standard specifications for refractory bricks.

Note :

(i) When the export contract does not indicate detailed technical requirements or is based only on samples the exporter shall furnish a written specification;

(ii) Method of test will be as per National Standards.

(4) Prohibits the export in the course of international trade of such refractory bricks unless the same is accompanied by certificate issued by any one of the Export Inspection Agencies established or recognised by the Central Government under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) to the effect that the refractory bricks satisfy the conditions relating to Quality Control and Inspection and are exportworthy.

2. Nothing in this Order shall apply to the export by land, sea or air of bonafide samples of refractory bricks not exceeding Rs. 1000 in f.o.b. value to the prospective buyers.

3. In this Order "Refractory Bricks" shall mean any of the refractory bricks of any shape mentioned in Annexure to this Order.

ANNEXURE

In this Order 'Refractory Bricks' means any of the following :—

1. Fireclay refractory bricks.
2. Basic refractory bricks.
3. Silica refractory bricks.
4. Acid refractory bricks.
5. Sillimanite bricks.
6. High Alumina bricks.
7. Insulating bricks.

[F. No. 6/16/83-EI&FP]

का. आ. 2266.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 की उप-धारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :—इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऊष्मसह ईंटें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है;

(ख) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन स्थापित प्रक्रिया के दौरान क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) के लिए तथा परेषणानुसार निरीक्षण के लिए स्थापित मान्यताप्राप्त अभिकरण में से कोई अभिकरण अभिप्रेत है।

(ग) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है;

(घ) "ऊष्मसह ईंटों" से निम्नलिखित में से कोई अभिप्रेत है:—

(1) अग्निसह मिट्टी की ऊष्मसह ईंटें।
(2) आधारी ऊष्मसह ईंटें।
(3) सिलिका ऊष्मसह ईंटें।
(4) अम्लप्रतिरोधी ऊष्मसह ईंटें।
(5) सिलीमेनाइट ऊष्मसह ईंटें।
(6) उच्च एल्यूमिना ईंटें।
(7) ऊष्मारोधी ईंटें।

3. निरीक्षण का आधार:—निर्यात की जाने वाली ऊष्मसह ईंटों का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जाएगा कि ऊष्मसह ईंटें अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य विनिर्देशों

अर्थात् (क) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मानक तथा निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य निकायों के मानकों, या (ख) निर्यात संविदा में करार पाए गए विनिर्देशों के रूप में निर्यातकर्ता द्वारा घोषित विनिर्देशों के अनुरूप है और यह या तो—

(i) निरीक्षण की प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण प्रणाली के अन्तर्गत आने वाली यूनिटों की दशा में यह सुनिश्चित करके किया जाएगा कि उत्पादों का विनिर्माण इस अधिसूचना के परिशिष्ट-क में विनिर्दिष्ट के अनुसार, प्रक्रियागत अनिवार्य क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करके किया गया है, या

(ii) निरीक्षण की परेषणानुसार प्रणाली के अंतर्गत आने वाली यूनिटों की दशा में इन नियम के परिशिष्ट-ख में विनिर्दिष्ट ढंग से किए गए निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर किया जाएगा।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया—(1) ऊष्मसह ईंटों के परेषण का निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता निर्यात संविदा या आदेश की एक प्रति के साथ संविदात्मक विनिर्देशों का ब्यौरा देते हुए अभिकरण को लिखित रूप में एक संसूचना देगा ताकि अभिकरण नियम 3 के उपबन्धों के अनुसार निरीक्षण करने में समर्थ हो सके।

(2) परिशिष्ट-क में अधिकथित पर्याप्त प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करके विनिर्मित ऊष्मसह ईंटों के निर्यात के लिए और परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञों के पैनल द्वारा यह निर्णीत करने पर कि विनिर्माण एककों में इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण ड्रिलें हैं, निर्यातकर्ता उपनियम (1) में उल्लिखित संसूचना के साथ यह घोषणा भी करेगा कि निर्यात के लिए आशयित ऊष्मसह ईंटों का परेषण परिशिष्ट क-में अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करके विनिर्मित किया गया है और परेषण इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है।

(3) निर्यातकर्ता निर्यात किए जाने वाले परेषण पर लगाए जाने वाले पहचान चिन्ह भी अभिकरण को देगा।

(4) उपरोक्त उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक संसूचना विनिर्माता के परिसर से परेषण के भेजे जाने से कम से कम सात दिन पूर्व दी जाएगी और उपनियम (2) के अधीन घोषणा सहित संसूचना की दशा में विनिर्माता के परिसर से परेषण के भेजे जाने से कम से कम तीन दिन पूर्व दी जाएगी।

(5) उपनियम (1) के अधीन संसूचना और उपनियम (2) के अधीन घोषणा के, यदि कोई है, प्राप्त होने पर अभिकरण,—

(क) (i) अपना यह समाधान हो जाने पर कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान विनिर्माता ने परिशिष्ट-क में अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियन्त्रणों का प्रयोग किया है और इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए इस संबंध में परिषद् या अभिकरण द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का, यदि कोई है, पालन किया गया है तीन दिन के भीतर यह घोषित करते हुए प्रमाण-पत्र देगा कि ऊष्मसह ईंटों का परेषण निर्यात योग्य है।

(ii) जहां विनिर्माता निर्यातकर्ता नहीं है, परेषण का प्रत्यक्ष रूप से सत्यापन करेगा और अभिकरण द्वारा ऐसा सत्यापन और निरीक्षण, यदि आवश्यक हो तो, यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि उपरोक्त शर्तों का पालन किया गया है।

(iii) निर्यात के लिए आशयित परेषणों में से कुछ परेषणों की स्थल पर जांच करेगा और यूनिट द्वारा अपनाई गयी प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण ड्रिलों की पर्याप्तता बनाए रखने का सत्यापन करने के लिए नियमित अंतरालों पर यूनिट का निरीक्षण करेगा।

(iv) यदि यह पाया जाता है कि विनिर्माण यूनिट विनिर्माण के किसी भी प्रक्रम पर अपेक्षित क्वालिटी नियंत्रण उपायों को नहीं अपना रहा है या परिषद् या अभिकरण की सिफारिश का पालन नहीं कर रहा है तो यह घोषित किया जाएगा कि यूनिट के पास पर्याप्त प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण ड्रिलें नहीं हैं और ऐसे मामलों में, यदि यूनिट चाहे तो, प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण ड्रिलों की पर्याप्तता बनाए रखने का निर्णय करने के लिए फिर से आवेदन करेगा।

(ख) जहां निर्यातकर्ता ने नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन यह घोषित नहीं किया है कि परिशिष्ट-क में अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग किया गया है, वहां, अपना यह समाधान कर लेने पर कि ऊष्मसह ईंटों का परेषण प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है, परिशिष्ट-ख में अधिकथित के अनुसार किए गए निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित ऐसा निरीक्षण करने के सात दिन के भीतर ऊष्मसह ईंटों के परेषण को निर्यात योग्य घोषित करते हुए, प्रमाणपत्र देगा :

परन्तु जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं होता है, वहां वह उक्त सात दिन की अवधि के भीतर निर्यातकर्ता को ऐसा प्रमाण-पत्र देने से इंकार कर देगा और निर्यातकर्ता को ऐसे इंकार की संसूचना उसके कारणों सहित देगा।

(ग) (i) ऐसे मामलों में जहां उपनियम 5(क) के अधीन विनिर्माता निर्यातकर्ता नहीं है या उपनियम 5(ख) के अधीन परेषण का निरीक्षण किया गया, वहां अभिकरण निरीक्षण पूरा करने के तुरन्त पश्चात् परेषण में पैकेजों को इस ढंग से सीलबन्द करेगा कि सीलबन्द पैकेजों के साथ फेरबदल न की जा सके।

(ii) परेषण की अस्वीकृति की दशा में, यदि निर्यातकर्ता ऐसा चाहता है तो परेषण अभिकरण द्वारा सीलबन्द नहीं किया जा सकेगा तथापि, ऐसे मामलों में निर्यातकर्ता अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील करने का हकदार नहीं होगा।

5. निरीक्षण का स्थान.—इन नियमों के अधीन प्रत्येक निरीक्षण या तो :(क) ऐसे उत्पादों के विनिर्माता के परिसर पर किया जाएगा, या (ख) ऐसे परिसर पर किया जाएगा जहां निर्यातकर्ता माल को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करता है, परन्तु यह तब जब कि वहां इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हैं।

6. निरीक्षण फीस.—इन नियमों के अधीन, प्रत्येक परेषण की निरीक्षण के लिए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रत्येक 100 रु. के लिए 75 पैसे की दर से तथा प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण के लिए 50 पैसे की दर से फीस दी जाएगी किन्तु प्रत्येक परेषण के लिए न्यूनतम फीस 75 रु. होगी।

7 अपील.—(1) नियम 4 के उपनियम (5) के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र देने से इंकार किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति उसके द्वारा ऐसे इंकार की संसूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर, केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित कम से कम तीन और अधिक से अधिक सात व्यक्तियों के विशेषज्ञों के पैनल को अपील कर सकता है।

(2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य गैर-सरकारी होंगे।

(3) विशेषज्ञों के पैनल की गणपूर्ति तीन से होगी।

(4) अपील उसके प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी।

परिशिष्ट—क

क्वालिटी नियंत्रण

1.0 ऊष्मसह ईंटों का क्वालिटी नियंत्रण विनिर्माता द्वारा, इसमें इसके पश्चात् दिए गए नियंत्रणस्तरों और उत्पाद के विनिर्माण

परिरक्षण और पैकिंग के नीचे अधिकथित विभिन्न प्रक्रमों पर निम्नलिखित नियंत्रणों का प्रयोग करके सुनिश्चित किया जाएगा :—

1.1 क्रय और कच्ची सामग्री नियंत्रण.—(क) प्रयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री के गुण समाविष्ट करते हुए, क्रय विनिर्देश विनिर्माता द्वारा अधिकथित किए जाएंगे।

(ख) स्वीकृत परेषण के साथ या तो क्रय विनिर्देशों की अपेक्षाओं की संपुष्टि करते हुए प्रदायकर्ता का परीक्षण तथा निरीक्षण प्रमाण-पत्र होगा जिस दशा में किसी विशेष प्रदायकर्ता के लिए क्रेता द्वारा 10 परेषणों में से कम से कम एक बार पूर्वोक्त परीक्षण या निरीक्षण प्रमाण-पत्रों की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए कालिक जांच की जाएगी या क्रय की गयी सामग्री का या तो कारखाने की प्रयोगशाला में या प्रयोगशाला के बाहर या परीक्षणगृह में नियमित परीक्षण तथा निरीक्षण किया जाएगा।

(ग) निरीक्षण या परीक्षण के लिए नमूनों का लिया जाना अभिलिखित अन्वेषणों पर आधारित होगा।

(घ) निरीक्षण या परीक्षण किए जाने के पश्चात् स्वीकृत तथा अस्वीकृत सामग्री को पृथक करने और अस्वीकृत सामग्री का निपटान के लिए व्यवस्थित पद्धतियां अपनाई जाएंगी।

(ङ) उपरोक्त नियंत्रणों के संबंध में विनिर्माता द्वारा पर्याप्त अभिलेख नियमित और व्यवस्थित रूप से रखे जाएंगे।

1.2 प्रक्रिया नियंत्रण.—(क) निर्माण के विभिन्न प्रक्रमों के लिए विनिर्माता द्वारा ब्योरेवार प्रक्रिया विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे।

(ख) प्रक्रिया विनिर्देशों में यथा अधिकथित प्रक्रियाओं के नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपकरण और उपस्कर सुविधाएं होंगी।

(ग) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त नियंत्रणों के सत्यापन की संभावना को सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माता द्वारा पर्याप्त अभिलेख रखे जाएंगे।

टिप्पण : विनिर्माण प्रक्रिया पर सैमिलिक नियंत्रण के लिए भा.मा. 1528 (भाग-VII)—1974 के प्रति निर्देश की सिफारिश की जाती है।

1.3 उत्पाद नियंत्रण.—(क) विनिर्माता के पास यह जांच करने के लिए कि उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है या तो अपनी परीक्षण सुविधाएं होंगी या उनकी पहुंच वहां तक होगी जहां ऐसी परीक्षण सुविधाएं विद्यमान है।

(ख) परीक्षण के लिए नमूना लेना तथा किया जाने वाला निरीक्षण अभिलिखित अन्वेषणों पर आधारित होगा।

(ग) नमूना लेने और किए जाने वाले परीक्षण के बारे में पर्याप्त अभिलेख नियमित और व्यवस्थित रूप में बनाए जाएंगे।

(घ) तैयार उत्पादों की जांच करने के लिए नियंत्रणों के न्यूनतम स्तर अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

1.4 परिरक्षण नियंत्रण.—उत्पाद को भंडारकरण और अभिवहन दोनों के दौरान अच्छी तरह से परिरक्षित किया जाएगा।

1.5 पैकिंग नियंत्रण.—उत्पाद की पैकिंग के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियंत्रणों को पूरा करने की दृष्टि से पैकिंग विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे।

2.0 उपरोक्त निरीक्षण के अतिरिक्त लॉट की निम्नानुसार परिभाषा के अनुसार नीचे दी गयी सारणी-I में विनिर्दिष्ट के अनुसार नमूना लेने के मापदंड अपनाते हुए ऊष्मसह ईंटों की पैकिंग के समय अन्तिम निरीक्षण किया जाएगा।

"किसी भी परेषण की सभी या समान प्रकार की 22,000 ऊष्मसह ईंटों को यथास्थिति एक साथ इकट्ठा करके एक लॉट बनाया जाएगा।"

2.1 उपरोक्त सारणी-I में दिए गए आकार केवल अभंजक परीक्षणों से संबंधित हैं, अर्थात् दोषों की अनुज्ञेय संख्या ज्ञात करने के लिए है भौतिक तथा रासायनिक परीक्षणों के लिए नहीं हैं।

2.2 भौतिक और रासायनिक परीक्षणों के लिए नमूनों की संख्याओं का ब्योरा सारणी-II में दिया गया है और ये नमूने सारणी-I के अनुसरण में लॉट में से पहले ही एकत्रित नमूनों में से लिए जाएंगे।

सारणी I

लॉट आकार	नमूना	दोषी नमूनों की अनुज्ञेय सं. के लिए	
		सामान्य अपेक्षाएं	आकार पर सहायता
500 तक	30	5	1
501 से 800	40	6	1
801 से 1300	55	8	2
1301 से 3200	75	10	2
3201 से 8000	115	14	3
8001 से 22000	150	18	4

टिप्पण : अन्य 22000 से अनधिक और उपरोक्त 22000 के ऊपर एक पृथक लॉट होगा।

सारणी-II

क्रम सं.	विशिष्टताएं	परीक्षण किए जाने वाले नमूनों की की संख्या	अपेक्षित ऊष्मसह सामग्री	टिप्पण
1	2	3	4	5
1.	पायरोमीटिरिक कोन समतुल्य	—	अन्य परीक्षणों से छोड़ी गई ईंटों के भाग में से 1 कि.ग्रा. सामग्री	जहां कहीं लागू हो
2.	भार के अधीन ऊष्मसहता	1	1	जहां कहीं लागू हो
3.	समत्वखंडन अवरोध	12 या 14 ईंटों का पैनल	14	जहां कहीं लागू हो

1	2	3	4	5
4.	शीत पिसन क्षमता	5	5	जहां कहीं लागू हो
5.	दरार का मापांक	5	5	जहां कहीं लागू हो
6.	पुनः उष्मायन के पश्चात् स्थायी परिवर्तन	5	5	जहां कहीं लागू हो
7.	स्पष्ट संरध्रता	5	परीक्षणों से छोड़ी गयी नयी ईंटों के भाग	जहां कहीं लागू हो
8	वास्तविक आपेक्षिक गुरुत्व तथा वास्तविक घनत्व	3	3 या अन्य परीक्षणों के लिए छोड़ी गई ईंटों के भाग	जहां कहीं लागू हो
9.	सामूहिक घनत्व	5	5	जहां कहीं लागू हो
10.	रासायनिक विश्लेषण	—	अन्य परीक्षणों से छोड़ी गई ईंटों के भागों का एक संकल नमूना	जहां कहीं लागू हो

3. पैकिंग के लिए नियंत्रण के स्तर

(परिशिष्ट क) का उपपैरा 1.5 देखिए।

3.1 पैकिंग :

3.1.1 पैकेज परिवहन के दौरान उठाई-धराई के लिए पर्याप्त मजबूत होंगे तथा ऊष्मसह ईंटें इस प्रकार से पैक की जाएंगी कि कोई टूट-फूट/क्षति आदि न हो।

3.2 चिन्हन :

3.2.1 ऊष्मसह ईंटों के पैकेजों पर निम्नलिखित चिहित होंगे।

(क) सामग्री का नाम तथा मात्रा।

(ख) विनिर्माता का नाम तथा व्यापार चिन्ह, यदि कोई हो।

अनुसूची

उत्पाद के लिए नियंत्रण के स्तर

(परिशिष्ट—क देखिए)

क.सं.	विशेषताएं	अपेक्षाएं	नमूनों की सं.	आवृत्ति	टिप्पण
1	2	3	4	5	6
1.	आकृप और विमाएं	मानक विनिर्देश के अनुसार	100		—
2.	पायरोमीटिरिक कोन समतुल्य (पी सी ई)	मानक विनिर्देश के अनुसार	एक नमूना	प्रत्येक बैच से	—
3.	भार के अधीन ऊष्मसह्यता (भा.अ.उ.)	मानक विनिर्देश अनुसार	एक नमूना	प्रत्येक बैच से	—
4.	समुत्खंडन अवरोध	मानक विनिर्देश के. के अनुसार	12 14 ईंटों को उठाने के लिए एक पैनल कार्य करता है।	महीने में एक बार	—
5.	शीतपिसन क्षमता	मानक विनिर्देश के अनुसार	12 नमूने	प्रत्येक क्वालिटी के लिए 12 नमूने प्रतिदिन	—
6.	दरार मापांक	मानक विनिर्देश के के अनुसार	5 नमूने	प्रत्येक क्वालिटी के लिए महीने में एक बार	—
7.	पुनः तापन के बाद स्थायी परिवर्तन	मानक विनिर्देश के अनुसार	5 नमूने	प्रत्येक क्वालिटी के लिए 15 दिन में एक बार	—
8.	स्पष्ट संरध्रता	मानक विनिर्देश के के अनुसार	12 नमूने	प्रत्येक क्वालिटी के लिए 12 नमूने प्रतिदिन	—
9.	वास्तविक आपेक्षिक गुरुत्व तथा घनत्व	मानक विनिर्देश के अनुसार	3 नमूने	प्रत्येक क्वालिटी के लिए 12 नमूने प्रतिदिन	आजाणिज (मैगनेसाइड) ईंटों के लिए वास्तविक आपेक्षिक घनत्व
10.	आर्द्रता अंश तथा शुष्कीकरण	मानक विनिर्देश के के अनुसार	5 नमूने	प्रत्येक क्वालिटी के लिए 5 नमूने प्रतिदिन	—
11.	रासायनिक विश्लेषण	मानक विनिर्देश के के अनुसार	एक संगठित नमूना	प्रत्येक क्वालिटी के लिए सप्ताह में एक बार	—

परिशिष्ट–ख

परेषणानुसार निरीक्षण.—1. ऊष्मसह ईंटों के परेषण का निरीक्षण और परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुसार है।

2 यदि संबंधित संविदात्मक विनिर्देशों में नमूना लेने के मापदंड विनिर्दिष्ट रूप से अनुबन्ध नहीं है तो वे लॉट का निम्नानुसार परिभाषा अनुसार नीचे दी गई सारणी-I तथा-II में अधिकथित के अनुसार लागू होंगे :—

"किसी भी परेषण का सभी या समान प्रकार की 22000 ऊष्मसह ईंटों को यथास्थिति एक साथ इकट्ठा करके लॉट बनाया जाएगा।

2.1 निम्नसारणी-I में दिए गए नमूना आकार केवल अभंजक परीक्षणों से संबंधित हैं, अर्थात, दोषों की अनुज्ञेय संख्या ज्ञात करने के लिए हैं, और भौतिक तथा रसायनिक परीक्षणों के लिए नहीं है।

सारणी-I

लॉट आकार	नमूना आकार	दोषों नमूनों की अनुज्ञेय संख्या के लिए	
		सामान्य अपेक्षाएं	आकार पर सहुता
1	2	3	4
500 तक	30	5	1
501 से 800	40	6	1
801 से 1300	55	8	2
1301 से 3200	75	10	2
3201 से 8000	115	14	3
8001 से 22000	150	18	4

टिप्पण : अन्य 22000 से अनधिक तथा उपरोक्त 22000 से ऊपर एक पृथक लॉट होगा।

2.2 रासायनिक और भौतिक परीक्षणों के लिए नमूनों की संख्याओं का ब्यौरा सारणी-II में दिया गया है और ये नमूने सारणी-I के अनुसरण में, लॉट में से पहले ही एकत्रित किए गए नमूनों में से लिए जाएंगे।

3 यदि संविदात्मक विनिर्देशों में अनुरूपता के लिए मापदंड विनिर्दिष्ट रूप से अनुबध नहीं है तो वे सुसंगत भारतीय मानक विनिर्देशों मे अधिकथित के अनुसार होंगे।

सारणी-II

क्रम सं.	विशेषताएं	परीक्षण किए जाने वाले नमूनों की संख्या	अपेक्षित ऊष्मसह सामग्री	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	पायरोमीटरिक कोन समतुल्य		अन्य परीक्षणों से छोड़ी गई ईंटों के भागों से 1 कि.ग्रा सामग्री	जहां कहीं लागू हो
2.	भार के अधीन ऊष्मसहता	1	1	जहां कहीं लागू हो
3	समुत्स्फोटन अवरोधक	12 या 14 ईंटों का पैनल	14	जहां कहीं लागू हो
4.	शीत पिसन क्षमता	5	5	जहां कहीं लागू हो
5.	दरार का मापाक	5	5	जहां कहीं लागू हो
6	पुनः तापन के बाद स्थाई परिवर्तन	5	5	जहां कहीं लागू हो
7.	स्पष्ट संरन्ध्रता	5	5 या अन्य परीक्षणों के लिए छोड़ी गयी ईंटों के भाग	जहां कहीं लागू हो
8.	वास्तविक आपेक्षिक गुरुत्व तथा वास्तविक घनत्व	3	3 या अन्य परीक्षणों के लिए छोड़ी गयी ईंटों के भाग	जहां कहीं लागू हो
9.	सामसिक घनत्व	5	5	जहां कहीं लागू हो
10.	रासायनिक विश्लेषण	—	अन्य परीक्षणों के लिए छोड़ी गयी ईंटों के भागों का एक सकल नमूना	जहां कहीं लागू हो

[फाइल सं. 6(16)/83/ईआई एण्ड ईपी]

स.रा. नागराजन, अवर सचिव

S.O. 2266.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Refractory Bricks (Quality Control & Inspection) Rules, 1986.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "Agency" means any one of the agencies established under section 7 of the Act for certification under in-process quality control and established/recognised for consignmentwise inspection.

(c "Council" means Export Inspection Council established under section 3 of the Act;

(d) "Refractory Bricks" means any of the following :—

(1) Fireclay refractory bricks
(2) Basic refractory bricks
(3) Silica refractory bricks
(4) Acid resisting refractory bricks
(5) Sillimanite refractory bricks
(6) High Alumina bricks
(7) Insulating bricks

3. Basis of Inspection.—Inspection of refractory bricks for export shall be carried out with a view to ensuring that the refractory bricks conform to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act, that is to say (a) the National and International Standards and standards of other bodies recognised by the Export Inspection Council or (b) the specification declared by the exporters to be the agreed specifications in the export contract either—

(i) by ensuring that the products have been manufactured by exercising necessary inprocess quality control as specified in Appendix-A to this notification in respect of units coming under inprocess quality control system of inspection, or

(ii) on the basis of inspection and testing carried out in the manner specified in Appendix-B to these rules in respect of units coming under consignmentwise system of inspection.

4. Procedure of Inspection.—(1) An exporter intending to export consignment of refractory bricks shall give an intimation in writing to the agency furnishing therein details of the contractual specifications alongwith a copy of the export contract or order to enable the agency to carry out inspection in accordance with the provisions of rule 3.

(2) For export of refractory bricks manufactured by exercising adequate inprocess quality control as laid down in Appendix-A and the manufcturing unit adjudged as having adequate inprocess qaulity drills by a panel of experts constituted by the Council for this purpose, theexporter shall also furnish alongwith the intimation mentioned in sub-rule (2) declaration that the consignment of refractory bricks intended for export has been manufactured by exercising adequate quality control as laid down in Appendix-A and that the consignment conforms to the standard specifications recognised for the purpose.

(3) The exporter shall furnish to the agency the identification marks applied to the consignment to be exported.

(4) Every intimation under sub-rule (1) above shall be given not less than seven days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises, while in the case of intimatin alongwith declaration under sub-rule (2) shall be given not less than three days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises;"

(5) On receipt of the intimation under sub-rule (1) and the declaration, if any, under sub rule (2), the agency—

(a) (i) On satisfying itself that during the process of manufacture, the manufacturer had exercised adequate quality controls as laid down in Appendix-A and followed the instructions, if any, issued by the Council or Agency in this regard to manufacture the product to conform to the standard specifications recognised for the purpose, shall within three days issue a certificate declaring the consignment of refractory bricks as exportworthy.

(ii) In case where the manufacture is not the exporter, however, the consignment shall be physically verified and such verification and inspection, if necesary shall be carried out by the agency to ensure that the above conditions are complied with.

(iii) The agency shall however, carry out the spot check of some of the consignments meant for export and shall visit the manufacturing unit at regular intervals to verify the maintenance of the adequacy of inprocess quality control drills adopted by the unit.

(iv) If the manufacturing unit is found not adopting the required quality control measures at any stage of manufacture or does not comply with the recommendations of the Council or Agency, the unit shall be declured as not having adequate inprocess quality control drills and in such cases, the unit if so desires shall apply afresh for adjudgement of the maintenance of adequacy of inprocess quality control drills.

(b) In case where the exporter had not declared under sub-rule (2) of rule 4 that adequate quality control as laid down in Appendix-A had been exercised, on satisfying itself that the consignment of refractory bricks conforms to the standard specifications recognised or the purpose, on the basis of inspection and testing carried out as laid down in Appendix-B shall within seven days of carrying out such inspection issue a certificate declaring the consignment of refractory bricks as exportworthy;

Provided that where the agency is not so satisfied, it shall within the said period of seven days refuse to issue a certificate to the exporter and shall communicate such refusal to the exporter alongwith the reasons.

(c) (i) In case where the manufacturer is not the exporter under sub-rule 5(a) or consignment is inspected under sub-rule 5(b), the agency shall immediately after completion of the inspection seal the packages in the consignment in the manner so as to ensure that the sealed packages cannot be tampered with.

(ii) In case of rejection of the consignment, if the exporter so desires the consignment may not be sealed by the agency but in such cases, however, the exporter shall not be entitled to prefer any appeal against the rejection.

5. Place of Inspection.—Every inspection under these rules shall be carried out either (a) at the premises of the manufacturer of such product, or (b) at the premises at which the goods are offered by the exporter for inspection provided adequate facilities for the purpose exist therein.

6. Inspection Fee.—Subject to a minimum of Rs. 75 for each consignment a fee at the rate of 75 paise for

consignment wise inspection and 50 paise for inprocess quality control for every Rs. 100 of FOB value of such consignment shall be paid as inspection fee under these rules.

7. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (5) of rule 4, may within ten days of the receipt of communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons as may be constituted by the Central Government.

(2) The panel of experts shall consist of at least two-thirds of non-official of the total membership.

(3) The quorum for the panel of experts shall be three.

(4) The apepal shall be disposed of within fifteen days of its receipt.

APPENDIX-A

Quality Control

1.0 The quality control of refractory bricks shall be ensured by the manufacturer by affecting the following controls at different stages of manufacure, preservation and packing of the products as laid down below, together with the levels of control as set out in the Schedule appended hereto.

1.1 Purchase and raw materials control :—

(a) Purchase specifications shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of raw materials to be used.

(b) Either the accepted consignments shall be accompanied by a supplier's test and inspection certificate corroborating the requirements of the purchase specifications, in which case occasional checks shall be conducted at least once in 10 consignments by the purchaser for a particular supplier to verify the correctness of the aforesaid test or inspection certificate or the purchased material shall be regularly tested and inspected either in the laboratory within the factory or in an outside laboratory or test house.

(c) The sampling for inspection or test to be carried out shall be based on the recorded investigations.

(d) After the inspection or test is carried out, systematic method shall be adopted in segregating the accepted and rejected materials and for disposal of the rejected materials.

(e) Adequate records in respect of the aforesaid controls shall be regularly and systematically maintained by the manufacturer.

1.2 Process Control:—

(a) Detailed process specifications shall be laid down by the manufacturer for different stages of manufacture.

(b) Equipment and instrumentation facilities shall be adequate to control the process as laid down in the process specifications.

(c) Adequate records shall be maintained by the manufacturer to ensure the possibility of verifying the controls exercised during the process of manufacture.

Note : For routine control over the manufacturing process, reference to IS : 1528 (Part-VII) 1974 is recommended.

1.3 Product Control :—

(a) The manufacturer shall have either own testing facilities or shall have access to such testing facilities existing elsewhere to check up whether the products conform to the specifications recognised under section 6 of the Act.

(b) Sampling for test and inspection to be carried out shall be based on the recorded investigation.

(c) Adequate records in respect of sampling and test carried out shall be regularly and systematically maintained.

(d) The minimum levels of controls to check the finished products shall be as specified in the Schedule.

1.4 Preservation Control.—The product shall be well preserved both during the storage and transit.

1.5 Packing Control.—Packing specifications shall be laid down with a view to satisfying the controls as mentioned in the Schedule for packing of the products.

2.0 Apart from the above inspection, final inspection should be carried out at the time of packing of refractory bricks, by adopting the scale of sampling as specified in Table-I given below, by defining a lot as follows :—

"In any consignment all or 22,000 numbers of refractories of the same type (as the case may be) shall be grouped together to constitute a lot."

2.1 The sample sizes given in above Table-I relate to non-destructive tests only, that is, for finding the permissible number of defectives and not for physical and chemical tests.

2.2 The details of the number of samples for physical and chemical tests are given in Table-II and these samples shall be drawn from the samples already collected from the lot in accordance with Table-I.

Table-I

Lot size	sample	Permissible number of defective for	
		General requirements	Tolerance on size
Upto 500	30	5	1
501 to 800	40	6	1
801 to 1300	55	8	2
1301 to 3200	75	10	2
3201 to 8000	115	14	3
8001 to 22000	150	18	4

Note : Above 22,000 numbers not exceeding another 22,000 will form a separate lot.

TABLE-II

S. No.	Characteristics	No. of samples to be tested	Refractories required	Remarks
1	2	3	4	5
1.	Pyrometric Cone Equipment	—	1 kg. material from portions of the bricks left overfrom other tests.	Wherever applicable
2.	Refractoriness under load	1	1	Wherever applicable
3.	Spalling resistance	A panel of 12 or 14 bricks	14	Wherever applicable
4.	Cold Crushing Strength	5	5	Wherever applicable
5.	Modulus of rupture	5	5	Wherever applicable
6.	Permanent change after reheating	5	5	Wherever applicable
7.	Apparent porosity	5	5 or portions of bricks left over from other tests	Wherever applicable
8.	True specific gravity	3	3 or portions of bricks left over from other tests	Wherever applicable
9.	Bulk density	5	5	Wherever applicable
10.	Chemical analysis	—	A composite sample from portions of bricks left over from other tests.	Wherever applicable

3. Levels of control for packing (see sub-paragraph 1.5 of Appendix-A)

3.1 Packing:

3.1.1 The packages shall have ufficient strength to withstand handling during transit and the refractory bricks shall be packed so as to avoid breakage/damage etc.

3.2 Marking :

3.2.1 Packages containing refractory bricks shall be marked with the following :—

(a) Name and quantity of the material

(b) Name of the manufacturer and trade mark, if any.

SCHEDULE
LEVELS OF CONTROL FOR PRODUCTS
(See Appendix-A)

S. No.	Characteristics	Requirements	No. of samples	Frequency	Remarks
1.	Visual & Dimensions	As per standard specifications	100%	—	—
2.	Pyrometric Cone Equivalent (PCE)	As per standard specification	One sample	From each batch	—
3.	Refractoriness under load (RUL)	As per standard specification	One sample	From each batch	—
4.	Spalling Resistance	As per standard standard specification	A panel frame-work for holding 12-14 bricks	One a month	—
5.	Cold Crushing strength	As per standard specification	12 samples	12 samples per day for each quality	—
6.	Modulus of rupture	As per standard specification	5 samples	Once a month for each quality	—
7.	Permanent change after reheating	As per standard specification	5 samples	Once every fortnight for each quality	—
8.	Apparent porosity	As per standard specification	12 samples	12 samples per day for each quality	—
9.	True specific gravity & true density	As per standard specification	3 samples	12 samples per day for each quality	True specific gravity for magnesite bricks.
10.	Moisture content & drying	As per standard specification	5 samples	5 samples per day for each quality	—
11.	Chemical analysis	As per standard specification	A composite sample	Once a week for each quality	—

APPENDIX-B

Consignmentwise Inspection

1. The consignment of refractory bricks shall be subjected to inspection and tested to ensure conformity of the same to the standard specifications recognised under section 6 of the Act.

2. In the absence of specific stipulation in the contractual specifications as regards scale of sampling the same laid down in Table-I and Table-II ,given below shall become applicable by defining a lot as follows:—

"In any consignment all or 22000 numbers of refractories of the same type (as the case may be) shall be grouped together to constitute a lot".

2.1 The sample sizes given in Table-I below relates to non-destructive tests only, that is, for finding the permissibl number of defectives and not physical and chemical tests.

Table-I

Lot size	Sample size	Permissible number of defectives for General requirements	Tolerance of size
Upto 500	30	5	1
501 to 800	40	6	1
801 to 1300	55	8	2
1301 to 3200	75	10	2
3201 to 8000	115	14	3
8001 to 22000	150	18	4

Note : Above 22000 number not exceeding another 22000, will form a separate lot.

2.2 The details of the number of samples for physical and chemical tests are given in Table-II and these samples shall be drawn from the samples already collected from the lot in accordance with Table-I.

3. In the absence of specific stipulation in the contractual specification as regards criteria for conformity the same shall be as laid down in relevant Indian Standard Specification.

TABLE-II

S. No.	Characteristics	No. of samples to be tested	Refractories required	Remarks
1.	Pyrometric cone equivalent	—	1 Kg. material from portion of the bricks left over from other tests.	Wherever applicable
2.	Refracteriness under load	1	1	Wherever applicable
3.	Spalling resistance	A panel of 12 or 14 bricks	14	Wherever applicable
4.	Cold Crushing strength	5	5	Wherever applicable
5.	Modulus of rupture	5	5	Wherever applicable
6.	Permanent change after reheating	5	5	Wherever applicable
7.	Apparent porosity	5	5 or portions of left over from other tests	Wherever applicable
8.	True specific gravity and true density	3	3 or portions of left over from other tests	Wherever applicable
9.	Bulk density	5	5	Wherever applicable
10.	Chemical analysis	—	A composite sample from portions left over from other tests.	Wherever applicable.

[F. No. 6(16)/83-EI&EP]
T.R. NAGARAJAN, Under Secy.

(मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय)

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1986

आदेश

का.आ. 2267—उप निदेशक, रेलवे भण्डार (स्टील)-II परिवहन मंत्रालय (रेल विभाग) (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को स्टील प्लेट्स के आयात (संलग्न सूची अनुसार) के लिए दिनांक 24-4-85 के संभरण आदेश संख्या आर (एस)/07/85/7903/7/10865 के मद्दे रु. 53,02,631/मात्र का आयात लाइसेंस संख्या जी/आर/3203863/टी/ओ आर/95/एच/85 दिनांक 22-5-1985 दिया गया था।

2. यह निदेशक, रेलवे भण्डार (स्टील)-II, परिवहन मंत्रालय, रेल विभाग, नई दिल्ली ने सीमा शुल्क प्रति की अनुलिपि जारी करने का आवेदन इस आधार पर किया है कि लाइसेन्स की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति किसी भी सीमा शुल्क अधिकारी के पास पंजीकृत कराए बिना अथवा किसी प्रकार प्रयोग में लाए बिना खो गई। निदेशक रेलवे भण्डार (स्टील-2, रेल विभाग नई दिल्ली द्वारा यह सहमति तथा वचन दिया गया है कि यदि मूल सीमा शुल्क नियंत्रक प्रयोजन प्रति बाद में मिल जाती है तो यह इस कार्यालय को रिकार्ड के लिए वापिस भिजवा दी जाएगी।

3. अपने तर्क के समर्थन में उपनिदेशक रेलवे भण्डार (स्टील), रेल विभाग नई दिल्ली ने प्रक्रिया पुस्तक 1985—88 के पैरा-86 के अनुसरण में विधिवत एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई है तथा निदेश देता हूं कि सीमा शुल्क नियंत्रण प्रयोजन प्रति की अनुलिपि आवेदक को जारी कर दी जाए। मूल सीमा शुल्क नियंत्रण प्रयोजन प्रति रद्द की जाती है।

4. सीमा शुल्क नियंत्रण प्रयोजन प्रति के लाइसेंस की अनुलिपि अलग से जारी की जा रही है।

[फा.सं. 4-डी/रेलवे/85-86/जी.एल.एस]

पाल बैक, उप मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात
कृते मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

New Delhi, the 18th March, 1986

ORDER

S.O. 2267.—Dy. Director Railway Stores (Steel) II, Ministry of Transport, Deptt. of Railways (Railway Board), New Delhi, was granted an I/L No. G/R/3203863|2|OR|95|H|85 dated 22-5-1985 for Rs. 53,02,631 only for the import of steel plates as per list attached against supply order No. RS (S)07/85/7903/7|10865 dated 24-4-1985.

2. Dy. Director, Railway Stores (Steel) II, Ministry of Transport, Deptt. of Railway, New Delhi, has now requested for issue of duplicate Custom Copy of the above licence on the ground that the above licence on the ground that the original Custom Purposes Copy has been lost without being registered with the Custom Authorities and utilised at all Director, Railway Stores (Steel) II, Deptt. of Railways, New Delhi, agrees and undertakes to return the Original Custom Purposes Control Copy if traced later on to this office for record.

3. In support of their contention, Dy. Director, Railways Stores (Steel), Deptt. of Railways, New Delhi, have filed an affidavit as required in terms of Para 86 of the Hand Book for 1985-86. The undersigned is satisfied that the original Custom Control Purposes Copy of the above said licence has been lost and directed that duplicate Custom Control Purposes Copy may be issued to the applicant. The original Custom Contfol Purposes Copy has been cancelled.

4. The duplicate Custom Control Purposes Copy of the Licence is being issued separately.

[F. No. 4-D/Rly/85-86/GLS]

PAUL BECK, Dy. Chief Controller of Imports & Exports
for Chief Controller of Imports & Exports

नई दिल्ली, 29 मई, 1986

आदेश

का. आ. 2268.—श्री ए. एम. मूलचंदानी, पो. आ. बाक्स 177, अजारे, बौची स्टेट, नाइजीरिया को एक टोयोटा करोला 1300 सीसी कार के आयात के लिए 61,000/- रु. मूल्य के सीमाशुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/3052483, दिनांक 1-10-85 के बदले में 61,000/- रु. मूल्य का अनुलिपि लाइसेंस सं. डी 2472322 जारी किया गया था। आवेदक ने ऊपर उल्लिखित सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी किए जाने का इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट अस्थानस्थ/खो गया है। आगे यह भी कहा गया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट को किसी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं करवाया गया था तथा इस प्रकार सीमाशुल्क निकासी परमिट के मूल्य का बिलकुल भी उपयोग नहीं किया गया है।

2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंस धारक ने उचित न्यायिक प्राधिकारी के सम्मुख विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। तदनुसार, एक अनुलिपि लाइसेंस सं. डी 2472322 जारी किया गया है। मैं, तदनुसार, संतुष्ट हूं कि 61,000/- रु. के सीमाशुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/3052483 दिनांक 1/10/85 के बदले में जारी की गई 61,000/- रु. मूल्य की अनुलिपि लाइसेंस डी 2472322 आवेदक द्वारा खो गई है। लाइसेंस की यह अनुलिपि प्रति भी मार्गस्थ में कहीं खो गई है। समय-समय पर यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उपधारा 9 (सीसी) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री ए. एम. मूलचंदानी को जारी 61,000/- रु. मूल्य के सीमाशुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/3052483 दिनांक 1-10-85 के बदले में जारी किए गए 61,000/- रु. के उक्त अनुलिपि लाइसेंस सं. डी 2472322 को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

3. पार्टी के खोए हुए मूल लाइसेंस तथा अनुलिपि लाइसेंस के बदले में सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति को अलग से जारी किया जा रहा है।

[फा. सं. ए/एम-41/85-86/ बी. एल एस./533]

New Delhi, the 29th May, 1986

ORDER

S.O. 2268.—Mr. A. M. Moolchandani, P.O. Box 177, Azare, Bauchi State, Nigeria was granted Duplicate Licence No. D-2472322 for Rs. 61,000 issued in lieu of CCP No. P|J|3052483 dated 1-10-85 for Rs. 61,000 only for import of One No. Toyota Corolla 1300 cc car. The applicant has applied for issue of Duplicate copy of the above mentioned Customs Clearance Permit on the ground that the original CCP has been misplaced|lost. It has further been stated that the original CCP was not registered with any Customs Authority and such the value of the CCP has not been utilised at all.

2. In support of his contention, the licencee has filed an affidavit duly sworn before appropriate judicial authority. Accordingly, a duplicate CCP bearing No. D-2472322 has been issued. I am accordingly satisfied that the Duplicate CCP No. D2472322 for Rs. 61,000 issued in lieu of CCP No. P|J|3052483 dated 1-10-85 for Rs. 61,000 has been lost by the applicant. This duplicate copy of the licence has also been lost in transit. In exercise of the powers conferred under Sub-Clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended from time to time, the said Duplicate Licence No. D2472322 for Rs. 61,000 in lieu of CCP No. P|J|3052483 dated 1-10-85 for Rs. 61,000 issued to Mr. A. M. Moolchandani is also hereby cancelled.

3. A duplicate copy of the Customs Clearance Permit in lieu of the lost duplicate licence and the original licence is being issued to the party separately.

[F. No. A|M-41|85-86|BLS|533]

का. आ. 2269.—डा. अरविन्द कुमार राठी को एक होंडा एकार्ड 1986 माडल कैसेट के साथ 1598 सीसी कार वातानुकूलित का आयात करने के लिए 85,550/- रु. मूल्य का एक सीमाशुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/3052468, दिनांक 25-9-85 जारी किया गया था। आवेदक ने ऊपर उल्लिखित सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी करने का इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह भी कहा गया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट को किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं करवाया गया था तथा इस प्रकार सीमा शुल्क निकासी परमिट के मूल्य का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है।

2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंस धारक ने उचित न्यायिक प्राधिकारी के सम्मुख विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं, तदनुसार, संतुष्ट हूं कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/3052468, दिनांक 25-9-85 आवेदक द्वारा खो गया है। समय-समय पर यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उपधारा 9 (सीसी) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए डा. अरविन्द कुमार राठी को जारी उक्त मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/3052468, दिनांक 25-9-1985 को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

3. पार्टी को सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[सं. ए/आर-51/85-86/बी एल एस/523]

एन. एस. कृष्णामूर्ति, उप मुख्य नियंत्रक,
आयात एवं निर्यात

.O. 2269.—Dr. Arvind Kumar Rathi was granted a Customs Clearance Permit No. P|J|3052468 dated 25-9-1985 for Rs. 85,550 for the import of one Honda Accord 1986 Model 1598 CC car with air-conditioner and Cassette. The applicant has applied for issue of the Duplicate copy of the above mentioned Customs Clearance Permit on the ground that the original CCP has been misplaced. It has further

been stated that the original CCP was not registered with any Customs authority and as such the value of the CCP has not been utilized at all.

2. In support of his contention, the licensee has filed an affidavit duly sworn before appropriate Judicial Authority. I am accordingly satisfied that the original CCP No. P/J/3052468 dated 25-9-1985 has been lost by the applicant. In exercise of the powers conferred under Sub-Clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended from time to time, the said original CCP No. P/J/3052468 dated 25-9-1985 issued to Dr. Arvind Kumar Rathi is hereby cancelled.

3. A duplicate copy of the Customs Clearance Permit is being issued to the party separately.

[No. A/R-51/85-86/BLS/523]
N. S. KRISHNAMURTHY, Dy. Chief Controller of Imports & Exports

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 मई, 1986

का. आ. 2270.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में बलोल-6 से बलोल-4 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस के अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

बलोल-6 से बलोल-4 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला और तालुका : मेहसाना

गांव	सर्वे नं०	हेक्टयर	आर सेन्टीयर	
1	2	3	4	5
बलोल	1769	0	01	65
	1770	0	10	35
	1771/पैा	0	10	80
	1772/2	0	06	45
	1772/1	0	03	30
	1648	0	21	00
	1647	0	06	45
	1646	0	06	00
	1645/1	0	17	40
	1643/2	0	00	40
	1644	0	10	20
	कार्ट ट्रैक	0	00	75
	1678	0	11	70
	कार्ट ट्रैक	0	00	75
	1394	0	17	55
	1393/2	0	09	60
	1393/1	0	10	95
	1392	0	00	95
	1386/2	0	11	10
	1385	0	10	35
	1380	0	11	10
	1379	0	18	15
	1326	0	07	95
	1325	0	00	90
	1300	0	20	70
	1303/2	0	01	50
	1302	0	10	65
	कार्ट ट्रैक	0	01	65
	1287	0	12	15
	कार्ट ट्रैक	0	00	60
	1286	0	05	55
	1280	0	08	25
	1281	0	04	80
	1279	0	13	05
	1277	0	14	70
	796	0	13	50
	787	0	09	00
	793/1	0	10	65
	788	0	14	85
	786	0	01	80

[सं-12016/73/86-ओ.एन.जी.डी-4]

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 22nd May, 1986

S.O. 2270.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Balol-6 to Balol-4 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Balol-6 to Balol-4

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Balol	1769	0	01	65
	1770	0	10	35
	1771/P	0	10	80
	1772/2	0	06	45
	1772/1	0	03	30
	1648	0	21	00
	1647	0	06	45
	1646	0	06	00
	1645/1	0	17	40
	1643/2	0	00	40
	1644	0	10	20
	Cart track	0	00	75
	1678	0	11	70
	Cart track	0	00	75
	1394	0	17	55
	1393/2	0	09	60
	1393/1	0	10	95
	1392	0	00	95
	1386/2	0	11	10
	1385	0	10	35
	1380	0	11	10
	1379	0	18	15
	1326	0	07	95
	1325	0	00	90
	1300	0	20	70
	1303/2	0	01	50
	1302	0	10	65
	Cart track	0	01	65
	1287	0	12	15
	Cart track	0	00	60
	1286	0	05	55
	1280	0	08	25
	1281	0	04	50
	1279	0	13	05
	1277	0	14	70
	796	0	13	50
	797	0	09	00
	793/1	0	10	65
	788	0	14	85
	786	0	01	80

[No. O-1201673/86—O.N.G-D 4]

का.आ. 2271.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में बलोल-6 से बलोल-4 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछा जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग की अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

बलोल-6 से बलोल-4 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य: गुजरात जिला और तालुका: महेसाणा

	गांव	सर्वे नंबर	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
खारा		311/1	0	10	50
		312/1	0	11	55
		349	0	02	15
		313/1	0	00	40
		313/2	0	06	60
		345	0	10	50
		346	0	08	55
		337	0	07	50
		338	0	03	30
		कार्ट ट्रेक	0	01	30
		335/1	0	00	50
		319	0	16	25
		320	0	03	15
		कार्ट ट्रेक	0	00	90

[सं. O-12016/74/86-ओएनजीडी-4)]

S.O. 2271.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Balol-6 to Balol-4 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road Vadodara, (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline From Balol-6 to Balol-4.

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Khara	311/1	0	10	50
	312/1	0	11	55
	349	0	02	5
	313/1	0	00	40
	313/2	0	05	60
	345	0	10	50
	346	0	08	55
	337	0	07	50
	338	0	03	30
	Cart track	0	01	30
	335/1	0	00	50
	319	0	16	20
	320	0	03	15
	Cart track	0	00	90

[No. O—12016/74/86-ONG—D 4]

का.आ. 2272.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी.जी.एस 1 से जी.जी.एफ5 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन(भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन)अधिनियम, 1962 (1962 का 50)की धारा 3 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

जी.जी.एस. 1 से जी.जी.एस. 5

राज्य गुजरात जिला व ताल्लुका गांधी नगर

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
मोपल राठोड	215	0	13	44
	216	0	04	16
	223/2	0	07	88
	222/1	0	10	08
	220	0	07	62
	कार्ट ट्रेक	0	00	48
	265	0	03	04
	272	0	09	00
	270	0	13	40
	271	0	21	41
	280	0	08	78
	299/1	0	04	16
	299/2	0	07	32
	317	0	05	48
	316/1	0	09	92
	316/2	0	05	00
	328	0	07	20
	329	0	10	48
	337	0	00	05
	334	0	15	08
	338	0	03	20
	339/1	0	01	92
	333	0	07	66
	341	0	10	00
	342/2	0	02	00
	342/4	0	03	25
	342/1	0	05	30
	352/1	0	05	36
	352/2	0	02	80
	351	0	02	26
	346/1	0	09	10
	347/1	0	01	24

[सं.O-12016/75/86-ओएनजीडी-4]

S.O. 2272.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary n the public interest that for the transport of petroleum from G.G.S.I. to G.G.S. V in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 1 of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Proivded that any person inerested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from GGSI to GGS V.

State : Gujarat District & Taluka : Gandhi Nagar

Village	Survey No.	Hect-Are	are	Centi-are
1	2	3	4	5
Bhoyan Rathod	215	0	13	44
	216	0	04	16
	223/2	0	07	88
	222/1	0	10	08
	220	0	07	62
	Cart track	0	00	48
	265	0	03	04
	272	0	09	00
	270	0	13	40
	271	0	21	41
	280	9	08	78
	299/1	0	04	16
	299/2	0	07	32
	317	0	05	48
	316/1	0	09	92
	316/2	0	05	00
	328	0	07	20
	329	0	10	48
	337	0	00	05
	334	0	15	08
	338	0	03	20
	339/1	0	01	92
	333	0	07	66
	341	0	10	00
	342/2	0	02	00
	342/4	0	03	25
	342/1	0	05	30
	352/1	0	05	36
	352/2	0	02	80
	351	0	02	26
	346/1	0	09	10
	347/1	0	01	24

[No. O-12016/75/86-ONG-D4]

का.आ. 2273.— चूंकि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में के-242 से के-194 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

के-242 से के-194

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका :कालोल

गांव	ब्लॉक सं.	हेक्टयर	आर.	सेन्टीयर
धामासना	1017	0	04	65
	1012	0	08	10
	1011	0	02	25
	1008/पी	0	09	00
	1005	0	07	95
	1004	0	08	10
	995	0	10	80
	996	0	09	90
	985	0	01	50
	980	0	33	05
	964	0	06	30
	963	0	14	55
	962	0	04	00
	989	0	15	60

[सं. O-12016/76/86-ओएनजी-डी4]

S.O. 2273.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from K-242 to K-194 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara, (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from K-242 to K-194

State : Gujarat District: Mehsana Taluka : Kalol

Village	Block No.	Hect-are	Are	Centi-are
Dhamasana	1017	0	04	65
	1012	0	08	10
	1011	0	02	25
	1008/P	0	09	00
	1005	0	07	95
	1004	0	08	10
	995	0	10	80
	996	0	09	90
	985	0	01	50
	980	0	33	05
	964	0	06	30
	963	0	14	55
	962	0	04	00
	989	0	15	60

[No. O-1 016/76/86-ONG-D4]

का.आ. 2274.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी. जी. एस. 1 से जी. जी. एस 5 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि इस भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

जी. जी. एस. 1 से जी. जी. एस. 5

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कलोल

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
सईज	779	0	04	03
	780	0	11	00
	782	0	16	10
	784	0	12	24
	776	0	04	55
	कार्टट्रेक	0	00	40
	587	0	17	28
	585/3	0	06	52
	585/1	0	03	04
	561/8	0	00	60
	561/6	0	00	40
	561/4	0	07	56
	561/1	0	12	97
	कार्टट्रेक	0	00	64
	471/1	0	17	33
	472/4	0	22	24
	463/3	0	00	96
	463/2	0	00	10
	463/1	0	02	79
	462	0	05	00
	456/1/11	0	05	87
	456/1/8	0	06	20
	454/2	0	00	80
	453/5	0	14	06
	453/2	0	02	54
	452	0	11	63
	कार्टट्रेक	0	00	48

[सं. O- 12016/77/86 - ओएनजी-डी4]

S.O. 2274.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from G.G.S.-I to G.G.S. V in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from GGS I to GGS V.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Salj	779	0	04	03
	780	0	11	00
	782	0	16	10
	784	0	12	24
	776	0	04	55
	Cart track	0	00	4

1	2	3	4	5
Saij	587	0	17	28
	585/3	0	06	52
	585/1	0	03	04
	561/8	0	00	60
	561/6	0	00	40
	561/4	0	07	56
	561/1	0	12	97
	Cart track	0	00	64
	471/1	0	17	33
	472/4	0	22	24
	463/3	0	00	96
	463/2	0	00	10
	463/1	0	02	79
	462	0	05	00
	456/1/11	0	05	87
	456/1/6	0	06	20
	454/2	0	00	80
	354/5	0	14	06
	453/2	0	02	54
	452	0	11	63
	Cart track	0	00	48

[No. O-12016/77/86-ONG-D4]

का. आ. 2275.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी. एस.-1 से जी. जी. एस. 5 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगी ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

जी जी एस -1 से जी. जी. एस. 5

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कलोल

गांव	सर्वेक्षण	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	5	5
कलोल	252/311	0	06	08
	252/309	0	05	72
	252/307	0	08	36
	252/306	0	09	20
	कार्टट्रेक	0	01	12
	252/207/1	0	07	00
	252/207/2	0	06	84
	252/209/1	0	05	50
	252/216	0	00	65
	252/215/1	0	06	96
	कार्टट्रेक	0	01	28
	252/227	0	03	84
	253/231	0	04	64
	252/230/पी	0	09	92
	195	0	09	36
	194/1-2	0	00	80
	196	0	02	24
	177/1	0	11	72
	कार्टट्रेक	0	00	48
	176	0	08	16
	174/2	0	05	12
	174/1	0	03	20
	कार्टट्रेक	0	01	76
	72	0	00	80
	73	0	25	60
	75	0	01	33
	56	0	06	40
	58/2	0	05	24
	58/1	0	05	00
	59	0	08	32
	44	0	06	72

[सं. O-12016/78/86 - ओएनजी-डी 4].

S.O. 2275.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from C. G. S. I. to G. G. S. V. in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara, (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from GGS I to GGS V.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol.

Village	Survey No.	Hectare	are	centiare
1	2	3	4	5
Kalol	252/311	0	06	08
	252/308	0	05	72
	252/307	0	08	36
	252/306	0	09	20
	Cart track	0	01	12
	252/207/1	0	07	00
	252/207/2	0	06	84
	252/209/1	0	05	50
	252/216	0	00	65
	252/215/1	0	06	96
	Cart track	0	01	28
	252/227	0	03	84
	252/231	0	04	64
	252/230/P	0	09	92
	195	0	09	36
	194/1+2	0	00	80
	196	0	02	24
	177/1	0	11	72
	Cart track	0	00	48
	176	0	08	16
	174/2	0	05	12
	174/1	0	03	20
	Cart track	0	01	76
	72	0	00	80
	73	0	25	60
	75	0	01	33
	56	0	06	40
	58/2	0	05	24
	58/1	;	05	00
	59	0	08	32
	44	0	06	72

[No. O-12016/78/86-ONG-D 4

नई दिल्ली, 26 मई, 1986

का. आ. 2276—सिटी और इंडस्ट्रीयल डेव्लपमेंट कारपोरेशन लि. बम्बई के हद में नीचे वर्णित की गई गांवों की भूमि बम्बई पुना पाइप लाईन प्रोजेक्ट के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक गांव के सामने दी हुई अधिसूचना और उसके सलग्न अनुसूची में संपादन करने का निश्चय प्रकाशित किया था।

अ. न.	गांव	तहसील	जिला	अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक	का. आ. संख्या और दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	अ. वाशी ब. तुर्भे क. सानपाडा	ठाणा	ठाणा	उर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) क्र. 12016/27/82-प्रॉड I दि. 5-2-83	778 दि. 5-2-83
2.	अ. घनसोली शहाबाज ब. शहाबाज क. तलोजा ड कामोठे ई. बेलपाडा	ठाणा	ठाणा	उर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) क्र. 12016/28/82 - प्रॉड I दि. 5-2-83	779 दि. 5-2-83
3.	अ. खारघर ब. कलम्बोली क. असुडगांव	पनवेल	रायगड	उर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) क्र. 12016/29/82 प्रॉड दि. 5-2-83	780 दि. 5-2-83
4.	अ. कामोठे ब. पनवेल	पनवेल	रायगड	उर्जा मंत्रालय – (पेट्रोलियम विभाग) क्र. 12016/29/82 - प्रॉड I दि. 26-2-83	1319 दि. 26-2-83

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, यह समझता है कि उसके और सिटी और इंडस्ट्रीयल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लि. बम्बई के बीच वर्णित भूमि के [illegible] के बारे में समझौता होकर दोनों संस्था के बीच आपस में करार हुआ है तब वर्णित किये हुए गांवों की भूमि पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसार संपादन होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम को मिली है, तब [illegible] गांवों की भूमि संपादन करने की अधिसूचना रद्द करने को कहा है, यह परिस्थिति के कारण उपर पैरा 1 के स्तंभ 5 और 6 में दी गई अधिसूचना और का.आ. संख्या उसके संलग्न अनुसूची के साथ यह गांवों पुर्ती रद्द की गई है।

[नं. O–12016/79/86-ओ. एन. जी.-डी. 4 (i)]

New Delhi, the 26th May, 1986

S.O.2276.—The lands in the following villages which are situated in the CIDCO area were notified under Section 6(1) of the Petroleum & Minerals Pipe Lines (Acquisition of Right of User in Lands) Act, 1962 under the notifications and S.O. orders noted against each:—

Sl. No.	Village	Tahsil	Distt.	No. & date of Notification	No. & date of S.O. Order
1	2	3	4	5	6
1.	(a) Vashi (b) Turbhe (c) Sanpada	Thana	Thana	Ministry of Energy (Dept. of Petroleum) No. 12016/27/82-Prod.I dated 5-2-1983	No. 778 dt. 5-2-1983 (Pages 675 & 676)
2.	(a) Kasbe-Shahbaz (b) Shahbaz (c) Taloja (d) Kamothe (e) Belpada	Thana	Thana	Ministry of Energy (Dept. of Petroleum) No. 12016/28/82-Prod.I dated 5-2-83	No. 779 dt. 5-2-1983 (Pages 676 & 678)
3.	(a) Kharghar (b) Kalamboli (c) Asudgaon	Panvel	Raigad	Ministry of Energy (Dept. of Petroleum) No. 12016/29/82 dated 5-2-83	No. 780 dt. 5-2-1983 (Pages 678 & 679)
4.	(a) Kamothe (b) Panvel	Panvel	Raigad	Ministry of Energy (Dept. of Petroleum) No. 12016/29/82-Prod.I dated 26-2-83	No. 1319 dt. 26-2-1983 (Pages 1138 and 1139)

The Hindustan Petroleum Corporation Ltd. have now informed that they have reached an understanding regarding the area and the prices to be paid to the CIDCO and further requested that although on account of publication of the above mentioned 6(1) notifications, the lands, have vested in the Hindustan Petroleum Corporation Ltd., the said notifications may be cancelled. In view of this position, the notifications under Section 6(1) of the Petroleum & Minerals Pipe Lines (Acquistion of Rigth of User in Lands) Act, 1962 in respect of the above villages are hereby cancelled along with the Schedules accompanying them.

[No. O-12016/79/86-ONG-D4 (i)]

का. आ. 2277:-यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4638 तारीख 12-9-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 का उपधारा (1 द्वारा) प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने का अजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

सोभासन सी. टी. से एफ जी. जी. एस. I

राज्य : गुजरात जिला : व तालुका : मेहसाना

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	अरे.	सेन्टीयर
कुक्कस	276	0	02	75
	283	0	13	40
	289	0	08	90
	303	0	05	00
	300	0	06	45
	299	0	07	75
	307	0	00	25
	309	0	04	20
	310	0	17	00
	311	0	05	70
	312	0	01	90
	313	0	08	75
	314	0	04	05
	कार्ट ट्रेक	0	00	25
	320	0	06	30

[सं. O-12016/100/86—ओ एन जी-डी 4]

S.O. 2277.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4638 dated 12-9-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of powers conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Cimmission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Sobhasan CTF to GGS I.

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Kukas	276	0	02	7
	283	0	13	40
	289	0	08	90
	303	0	05	00
	300	0	06	45
	299	0	07	75
	307	0	00	25
	309	0	04	20
	310	0	17	00
	311	0	05	70
	312	0	01	90
	313	0	08	75
	314	0	04	05
	Cart track	0	00	25
	3 0	0	06	30

[No. O-12016/100/86-ONG-D4

का. आ. 2278.—सिटी और इंडस्ट्रीयल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन प्रा. लि., बम्बई के रह में नीचे वर्णित की गई गांवों की भूमि बम्बई पुना पाइप लाईन प्रोजेक्ट के लिए संपादन करने का आशय पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उपधारा (1) में अधीन प्रत्येक गांव के सामने दी हुई अधिसूचना और उसके संलग्न अनुसूची में घोषित किया था।

क्र. सं.	गांव	तहसील	जिला	अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक	का. आ. संख्या और दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	अ. वाशी ब. तुर्भे क. सानपाडा	ठाणा	ठाणा	पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय - क्र. 12016/27/82 - प्रॉड I दि. 4-9-82	3082 दि. 4-9-82
2.	अ. कुकशेत ब. सोमखार क. शिरवणे	ठाणा	ठाणा	पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय - क्र. 12016/27/82 - प्रॉड II दि. 4-9-82	3083 दि. 4-9-82
3.	अ. कसबे शहाबाज ब. शहाबाज क. तलोजा ड. कामोठे इ. बेलपाडा	ठाणा	ठाणा	पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय - क्र. 12016/28/82 - प्रॉड. I दि. 4-9-82	3086 दि. 4-9-82
4.	अ. खारघर ब. कलम्बोली क. असूडगांव	पनवेल	रायगड	पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय - क्र. 12016/28/82 - प्रॉड II दि. 4-9-82	3087 दि. 4-9-82

1	2	3	4	5	6
5.	अ. तुर्भे ब. सानपाडा क. बोनसाई ड. कुकशेत ई. शिरवणे फ. शहाबाज ग. कामोठे ड. पनवेल	ठाणा	ठाणा	ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) क्र. 12016/10/83 - प्रॉड I दि. 5-3-83	1449 दि. 5-3-83
6.	अ. कामोठे ब. पनवेल क. कोल्हेखार ड. नावडेखार इ आवलखार	पनवेल	रायगड	पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय - क्र. 12016/29/82-प्रॉड I दि. 4-9-82	3033 दि. 4-9-82

अब हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और सिटी इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन प्रा. लिमिटेड बम्बई के बीच वर्णित भूमि के क्षेत्रफल और कीमत के बारे में समझौता होकर दोनों संस्था के बीच करार हुआ है। यह हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. ने सक्षम अधिकारी, बम्बई पूना पाईपलाईन प्रोजेक्ट को समझाया है, सब वर्णित किये हुए गांवों की भूमि पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के अनुसार संपादन करने का प्रयोजन अब रहा नहीं है। यह परिस्थिति के कारण ऊपर पैरा 1 के स्तंभ 5 और 6 में दी हुई अधिसूचना के अधीन उल्लिखित गांव के साथ संलग्न अनुसूची रद्द की जा रही है।

[सं. O – 12016/79/86 - ओ. एन. जी. डी.-4]

के. सी. काटोच, डैस्क अधिकारी

S.O. 2278.—The lands in the following villages which are situated in the CIDCO area were preposed for acquistion for Bombay Pune Pipe Line Project and notifications under Section 3(1) of the Petroleum & Minerals Pipe Lines (Acquistion of Right of User in Lands) Act, 1962, were issued and published under the notifications and S.O. order noted against each.—

Sl. No.	Village	Tahsil	Distt.	No. of date of Notification	No. & date of S.O. Order
1	2	3	4	5	6
1.	(a) Vashi (b) Turbhe (c) Sanpada	Thana	Thana	Ministry of Petroleum, Chemcials & Fertilizers No. 12016/27/82-Prod.I dated 4-9-1982	No. 3082 dt. 4-9-1982
2.	(a) Kukshet (b) Sonkhar (c) Shirwane	Thana	Thana	Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizers No. 12016/27/82 Prod.II dated 4-9-82	No. 3083 dt. 4-9-1982
3.	(a) Kasbe-Shahbaz (b) Shahbaz (c) Taloja (d) Kamothe (e) Belpada	Thana	Thana	Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizers No. 12016/28/82—Prod- I dated 4-9-1982	No. 3086 dated. 4-9-1982
4.	(a) Kharghar (b) Kalamboli (c) Asudgaon	Panvel	Raigad	Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizers No. 12016/28/82-Prod.II dated 4-9-1982	No. 3087 dt. 4-9-1982

1	2	3	4	5	6
5.	(a) Turbhe (b) Sanpada (c) Bonsai (d) Kukshet (e) Shirwane (f) Shahbaz (g) Kamothe (h) Panvel	Thana	Thana	Ministry of Enegry (Department of Petroleum) No. 12016/10/83—Prod I dated 5-3-1983	No. 1449 dt. 5-3-1983
6.	(a) Kamothe (b) Panvel (c) Kolhekhar (d) Navadekhar (e) Ambelkhar	Panvel	Raigad	Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizers No. 12016/29/82—Prod. I dated 4-9-1982	No. 3088 dt. 4-9-1982

2. The Hindustan Petroleum Corporation Ltd., have now informed that they have reached an understanding regarding the area and the prices to be paid to the CIDCO and further requested to—cancel these notifications. In view of this position, notifications under Section 3(1) of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Lands) Act, 1961 in respect of the above mentioned villages are, hereby cancelled along with the Schedules accompanying them.

[No.O-12016/79/86-ONG. D4]

नई दिल्ली, 28 मई, 1986

का. आ. 2279.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी. जी. एस. IX से जी. जी. एस. IV तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

जी. जी. एस. IV से जी. जी एस. IX पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य :—गुजरात जिला:—मेहसाना तालुका:—कलोल

गांव	ब्लोक नं०	हुक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
पानसर	913	0	17	50
	923	0	00	25
	कार्ट ट्रेक	0	02	00
	975	0	49	25
	984	0	04	95
	986	0	09	60
	985	0	23	75
	998	0	33	75
	1013	0	11	00
	1017	0	30	25
	1018	0	26	50
	1019	0	22	00
	कार्ट ट्रेक	0	01	50
	1028	0	00	50
	1027	0	31	00
	1030	0	00	50

[सं. ओ.-12016/80/86-ओ एन जी-डी-4)]

S.O. 2279.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from G.G.S. IX to G.G.S. IV in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara, (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from GGS IX to GGS IV

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Block No.	Hect-are	Are	Cen-tiare
1	2	3		4
Pansar	913	0	17	50
	923	0	00	25
	Cart track	0	02	00

1	2	3	4	5
	975	0	49	25
	984	0	04	95
	986	0	09	60
	985	0	23	75
	998	0	33	75
	1013	0	11	00
	1017	0	30	25
	1018	0	26	50
	1019	0	22	00
	Cart track	0	01	50
	1028	0	00	00
	1027	0	31	00
	1030	0	00	50

[No. O-12016/80/86-ONG-D4]

का. आ. 2280.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी. जी. एस. IX से जी जी एस IV तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन (अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस प्रकाशन की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

जी. जी. एस. IX से जी. जी. एस. IV तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य:—गुजरात जिला:—मेहसाना तालुका :—कलोल

गांव	ब्लोक नं.	हेक्टीयर	आर	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
धमासना	830	0	25	25
	837	0	07	25
	877	0	00	75
	कार्ट ट्रेक	0	06	50
	838	0	00	50
	876	0	08	25
	875	0	12	50
	कार्ट ट्रेक	0	01	25
	839	5	00	25
	840	0	16	50
	841	0	19	42
	842	0	05	0
	कार्ट ट्रेक	0	03	00
	865	0	21	00
	864	0	07	50
	863	0	06	25
	861	0	14	00
	860	0	04	00
	कार्ट ट्रेक	0	03	75
	998	0	02	00
	1001	0	05	00
	999	0	03	84
	1000	0	15	00
	995	0	26	00
	996	0	10	50
	993	0	16	88
	994	0	02	62
	992	0	15	75
	कार्ट ट्रेक	0	01	25
	1267	0	20	00
	1268	0	01	75
	1047	0	22	50
	1050	0	02	80
	1051	0	30	50
	1052	0	01	50
	1076	0	03	75
	कार्ट ट्रेक	0	01	75
	1094	0	16	25
	1095	0	02	50
	1093	0	18	75
	1088	0	16	25
	कार्ट ट्रेक	0	01	75
	1087	0	06	25
	कार्ट ट्रेक	0	01	25
	1128	0	15	00
	कार्ट ट्रेक	0	02	00
	1086	0	00	50
	1129	0	63	00
	1137	0	15	50
	1142	0	05	25
	1143	0	47	50
	1136	0	00	50

[सं. ओ. -12016/81/86—ओ एन जी डी-4]

S.O. 2280.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from G.G.S. IX to G.G.S. IV in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minererals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government herbey declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission Construction and Maintenance Division, Makarpura Road Vadodara. (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from GGS IX to GGS IV

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Block No.	Hect-are	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Dhamasana	830	0	25	25
	837	0	07	25
	877	0	00	75
	Cart track	0	06	50
	838	0	00	50
	876	0	08	25
	875	0	12	50
	Cart track	0	01	25
	839	0	00	25
	840	0	16	50
	841	0	19	42
	842	0	05	00
	Cart track	0	03	00
	865	0	21	00
	864	0	07	50
	863	0	06	25
	861	0	14	00
	860	0	04	00
	Cart track	0	03	75
	998	0	02	00
	1001	0	05	00
	999	0	03	84
	1000	0	15	00
	995	0	26	00
	996	0	10	50
	993	0	16	88
	994	0	02	62
	992	0	15	75
	Cart track	0	01	25
	1067	0	20	00
	1068	0	01	75
	1047	0	22	50
	1050	0	02	80
	1051	0	30	50
	1052	0	01	50
	1076	0	03	75
	Cart track	0	01	75
	1094	0	16	25
	1095	0	02	50
	1093	0	18	75
	1088	0	16	25
	Cart track	0	01	75
	1087	0	06	25
	Cart track	0	01	25
	1128	0	15	00
	Cart track	0	02	00
	1086	0	00	50
	1129	0	63	00
	1137	0	15	50
	1142	0	05	25
	1143	0	47	50
	1136	0	00	50

[No. O-12016/81/86-ONG-D4]

का. आ. 2281.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस. एन. सी. यू. से ई पी. एस. (न्यू) बलोल-4 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

अर्थात् कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

एन एन. सी. यू. से ई. पी एस (न्यू) बलोल-4 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य :— गुजरात जिला व तालुका :—मेहसाना

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
बलोल	1619	0	01	08
	1620	0	11	23
	1780	0	07	92
	1779	0	04	80
	1770	0	09	00
	1763	0	01	44
	1769	0	08	28
	1768	0	02	40
	1767	0	05	40

[सं. ओ-12016/86/86-ओ एन जी-डी-4]

SO. 2281.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NKGR to Seam Point in Gujarat Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division Makarpura Road, Vadodara, (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SNCU to EPS (NEW) Balol-4
State : Gujarat District Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centiare
Balol	1619	0	01	08
	1620	0	11	28
	1780	0	07	92
	1779	0	04	80
	1770	0	09	00
	1763	0	01	44
	1769	0	08	28
	1768	0	02	40
	1767	0	05	40

[No O-12016/86/86-ONG-D4]

का. आ. 2282.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एन. के. जी. बी. से स्टीम बिन्दु तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

एन. के. जी. बी. स्टीम बिन्दु तक पाइप लाइन बिछाने के लिए
राज्य :—गुजरात जिला :— मेहसाना तालुका :—कड़ी

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
चलासन	152	0	12	60
	139/4	0	10	32
	137/7	0	07	20

[सं. ओ. -12016/87/86-एन ओ जी डी- 4]

S.O. 2282.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NKGR o Steam Point in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962, the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara, (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from NKGB to Steam Point
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centiare
Chalasan	152	0	12	60
	139/4	0	10	32
	137/7	0	07	20

[No O-12016/87/86-ONG-D4]

का. आ. 2283.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस. एस. सी. ओ. से एस. एन. सी. पी. से बलोल-4 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एस. एन. सी. ओ. से एस. एन. सी. पी. से बालोल-4 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य :—गुजरात जिला व तालुका :—मेहसाना

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
संथाल	387	0	01	08
	388	0	01	80
	389/1	0	02	88
	390/1	0	08	28
	379	0	18	12
	376	0	07	20
	375	0	13	20
	374/1	0	04	20

[सं. ओ-12016/88/86-ओ-एन जी-डी-4]

S.O. 2283.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SNCO to SNCP to Balol-4 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise fo the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Comission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara, (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SNCO to SNCP to Balol 4

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Santhal	387	0	01	08
	388	0	01	80
	389/1	0	0?	88
	390/1	0	08	?8
	379	0	18	12
	376	0	07	?0
	375	0	13	20
	374/1	0	04	?0

[No. O-12016/88/86-ONG-D4]

का. आ. 2284.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस. एन. सी. वी. से एस. एस. टी. एफ. तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एस. एन. सी. वी. से एस. एस. सी. टी. एफ.

राज्य—गुजरात जिला व तालुका—मेहसाना

गांव	स. नं.	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
बालोल	1656	0	03	24
	1653	0	12	60
	1651	0	15	60
	1763	0	07	32
	1771	0	07	44
	1770	0	05	40

[सं. ओ.-12016/89/86-ओ एन जी डी-4]

S.O. 2284.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SNCV to SSCTF in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara, (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SNCV to S.S. CTF

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	are	Centiare
Balol	1656	0	03	?4
	1653	0	12	60
	1651	0	15	60
	1763	0	07	3?
	1771	0	07	44
	1770	0	05	40

[No. O-1?016/89/86-ONG-D4]

का. आ. 2285.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस. ई एक्स (सोभासन-74) से एस. डी. एच. (सोभासन-35) तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एस. ई. एक्स (सोभासण-74) से एस. डी. एच. (सोभासण-35)
राज्य—गुजरात जिला व तालुका—मेहसाणा

गांव	सं. नं.	हैक्टेयर	एयार	सेन्टीयर
1	2	3	4	
हेबुवा	181	0	07	32
	180	0	10	32
	179/1	0	11	88
	177	0	08	76
	176	0	09	30
	175	0	12	36
	कार्ट ट्रैक	0	02	04
	162	0	06	66
	163	0	08	64
	कार्ट ट्रैक	0	00	42
	164	0	05	28
	168	0	02	80

[सं. ओ.-12016/90/86-ओ एन. जी.-डी-4]

S.O. 2285.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SEX (Sobhasan-74) to SDH (Sobhasan-35) in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara, (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

SEX (Sob-74) to SDH (Sob-35)

State : Gujarat Dist. & Taluka : Mehsana

Village	S.No.	Hect-are	Are	Cent-are
Hebuva	181	0	07	32
	180	0	10	32
	179/1	0	11	88
	177	0	08	76
	176	0	09	30
	175	0	12	36
	C.T.	0	02	04
	162	0	06	66
	163	0	08	64
	C.T.	0	00	42
	164	0	05	28
	168	0	02	80

[No. O-12016/90/86-ONG-D4]

का. आ. 2286.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस. एस. ओ. ए. से जी. जी. एस. 1 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एस० एम. डी.ए. से जी. जी. एस I

राज्य—गुजरात जिला—भारुच तालुका—हांसोट

गांव	ब्लाक नं.	हैक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
वालनेर	कार्टट्रैक	0	03	90
	196	0	16	90
	195/ए	0	15	60
	195/बी	0	11	70
	452	0	15	60
	193	0	13	00
	192	0	07	80
	548	0	06	50
	547	0	07	15
	541	0	23	40
	528	0	11	70
	527	0	15	60
	523 } 522 }	0	08	45
	520	0	05	85
	509	0	06	50
	508	0	27	95
	507	0	06	50

[सं. ओ.-12016/91/86-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 2286.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SMDA to GGS I in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in hte schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara, (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SMDA to GGS I.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka: Hansot

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Walner	Cart track	0	03	90
	196	0	16	90
	195/A	0	15	60
	195/B	0	11	70
	452	0	15	60
	193	0	13	00
	192	0	07	80
	548	0	06	50
	547	0	07	15
	541	0	23	40
	528	0	11	70
	527	0	15	60
	523 } 522 }	0	08	45
	520	0	05	85
	509	0	06	50
	508	0	27	95
	507	0	06	50

[No. O-12016/91/86-ONG-D4]

का. आ. 2287:—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस. बी. ए. डी. से नोमासण जी जी एस. II— तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़ बड़ोदरा 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एस. बी. ए. डी. से नोमासण जी.जी.एस-II

राज्य— गुजरात जिला व तालुका—मेहसाणा

गांव	ब्लाक नं.	हैक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
कोचवा	182	0	12	12
	181/1	0	21	60
	180	0	08	40
	193	0	21	00
	175	0	11	40
	172 } 174 }	0	25	92
	149	0	10	44
	147	0	02	64
	148	0	11	16

[सं. ओ.-12016/92/86-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 2287.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SBAD to SOB Ghs II in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura, Vadodara, (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SBAD to SOB. GGS II.
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hect-are	Are	Centi-are
Kochva	18?	0	12	1?
	181/1	0	?1	60
	180	0	08	40
	193	0	21	00
	175	0	11	40
	172 174	0	25	9?
	149	0	10	44
	147	0	02	64
	148	0	11	16

[No. O-12016/9?/86/-ONG-D4]

का. आ. 2288.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस - 1 से एस - एस सी. टी. एफ. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और रखरखाव प्रभाग, मकरपुरा रोड, वड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एस. 1 से एस. एस. सी. टी. एफ
राज्य – गुजरात जिला व तालुका – मेहसाना

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टीआर
कसलपुरा	850	0	12	10
	898	0	13	10
	897	0	09	50
	896	0	02	20
	889	0	04	80

[सं. O-12016/82/86 - ओ एन जी डी-4]

S.O. 2288.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from S-1 to S.S. CTF in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from S-1 to S.S. CTF
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hect-are	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Kasalpura	850	0	12	10
	898	0	13	10
	897	0	09	50
	896	0	02	20
	889	0	04	80

[No. O-12016/8?/86-ONG-D4]

का. आ. 2289.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस. एन. ए. यू. से एस. एन. सी. टी. एफ. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एन. एन. ए. यू से एस. एस. सी. टी. एफ.
राज्य – गुजरात जिला व तालुका – मेहसाना

गांव	सं. नं.	हेक्टेयर	एयरई	सेन्टीयर
कसलपुरा	857	0	02	00
	कार्ट ट्रेक	0	00	85
	813	0	22	70
	810	0	04	30
	809	0	04	25
	811	0	04	40
	802	0	31	30
	801	0	09	60
	800	0	03	90

[सं. O– 12016/83/86 - ओ एन जी- डी 4]

S.O. 2289.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SNAU to S.S.-CTF in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road Vadodara. (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SNAU To S.S. CTF
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hect-are	are	Centi-are
Kasalpura	857	0	02	00
	Cart track	0	00	85
	813	0	22	70
	810	0	04	30
	809	0	04	25
	811	0	04	40
	802	0	31	30
	801	0	09	60
	800	0	03	90

[No. O-I 016/83/86-ONG-D4]

का. आ. 2290.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस. बी. बी. जी. से सी. टी. एफ. पुनासण तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एस. बी. बी. जी. से सी. टी. एफ पुनासण
राज्य – गुजरात जिला व तालुका – मेहसाना

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	एयरई	सेन्टीअर
पुनासण	169	0	14	16
	172	0	05	52
	173	0	08	28

[सं. O– 12016/84/86 - ओ एन जी - डी 4]

S.O. 2290.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SBDG to CTF Pynasan in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road Vadodara. (390003).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SBDG to CTF Punasan

State : Gujarat District Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hect-are	are	Centi-are
Punasan	169	0	14	16
	172	0	05	52
	173	0	08	28

[No. O-12016/84/86-ONG. D4]

का. आ. 2291—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सोभासण - 9 से डब्ल्यू. डब्ल्यू. टी. पी. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और रेखरखाव प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

सोभासण - 9 से डब्ल्यू. डब्ल्यू. टी. पी.

राज्य – गुजरात जिला व तालुका – मेहसाणा

गांव	सं. नं.	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
	158	0	05	64
	198	0	08	12
जगुदण	160	0	17	16
	180	0	17	64
	179	0	02	16
	165	0	00	72
	166	0	06	36
	167	0	08	64
	168	0	03	48
	169	0	17	40
	171	0	11	88

[सं. O- 12016/85/86 – ओ एन जी-डी 4]

S.O. 2291.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Sobhasan-9 to WWTP in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road Vadodara. (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SOB-9 to WWTP

State : Gujrat District Taluka : Mehsana.

Village	Survey No.	Hect-are	are	Centi-are
Jagudan	158	0	05	64
	198	0	08	12
	160	0	17	16
	180	0	17	64
	179	0	02	16
	165	0	00	72
	166	0	06	36
	167	0	08	64
	168	0	03	48
	169	0	17	40
	171	0	11	88

[No. O-12016/85/86-ONG-D4]

नई दिल्ली, 2 जून, 1986

का. आ. 2292.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में 27 (एस. डी. सी.) से एस. ओ. बी. (28) तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

27 (एस. डी. सी.) से एस. ओ. बी. 28 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य – गुजरात जिला व तालुका – मेहसाना

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
जगुदन	51	0	02	40
	50	0	20	50
	53	0	05	00

[सं. O– 12016/93/86 – ओ एन जी – डी 4]

New Delhi, the2nd June, 1986

S.O. 2292.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from 27 (SDC) to SOB 28 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road Vadodara. (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from 27 (SDC) To SOB 28
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hect-are	are	Centi-are
Jagudan	51	0	02	40
	50	0	20	50
	53	0	05	00

[No. O-12016/93/86-ONG-D4]

का.आ. 2293.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस.एस. सी.टी.एफ. कम जी.जी.एस. से स्टीम बिन्दु तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एस.एस.सी.टी.एफ. कम जी.जी.एस. स्टीम बिन्दु तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाना

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
कसलपुरा	818	0	16	80
	862	0	04	20
	861	0	03	72
	860	0	03	60
	869	0	03	65
	893	0	05	52
	852	0	01	68
	851	0	02	58
	850	0	03	90

[सं. O-12016/94/86-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 2293.—Whereas it appears to the Central Government that it is necesary in the public interest that for the transport of petroleum from S.S. CTF-cum GGS to Steam Point in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road Vadodara. (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SS. CTF-cum-GGS to Steam Point

State : Gujarat District Taluka : Mehsana

Kasalpura	818	0	16	80
	862	0	04	20
	861	0	03	72
	860	0	03	60
	869	0	03	84
	893	0	05	52
	852	0	01	68
	851	0	02	58
	850	0	03	90

[No. O-12016/94/86-ONG.D4]

का.आ. 2294.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एम.एस.सी.टी एफ. कम जी.जी. एस से स्टीम बिन्दु तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एस.एस.सी.टी.एफ. कम जी.जी.एस. स्टीम बिन्दु तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाना

गांव	सर्वेक्षण नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
संथाल	633	0	02	04
	632	0	08	64
	630	0	13	68

[सं. O-12016/95/86-ओ एन जी डी-4]

S.O. 2294.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from S.S. CTM cum GGS to Steam Point in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road Vadodara. (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SS CTF CUM GGS to STEAM Point

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hect-are	are	Centi-are
Santhal	633	0	02	04
	632	0	08	64
	630	0	13	68

[No. O-12016/95/86-ONGD-4]

का.आ. 2295.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ई.पी.एस से एस एन सी.डब्ल्यू. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

ई.पी.एस. से एस एन सी डब्ल्यू. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाना

गांव	सर्व नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
धनोल	1770	0	06	24
	1771	0	03	48
	1772/2	0	02	88
	1651	0	07	68
	1650	0	06	60
	1649	0	06	36

[सं. O-12016/96/86-ओ एन जी डी-4]

के.सी. काटोच, डैस्क अधिकारी

S.O. 2295.—Whereas it appears to the Central Government that it is neecssary in the public interest that for the transport of petroleum from EPS to SNCW in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road Vadodara. (390003).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from EPS to SNCW

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hect-are	are	Centi-are
Balol	1770	0	06	24
	1771	0	03	48
	1772/2	0	02	88
	1651	0	07	68
	1650	0	06	60
	1649	0	06	35

[No. O-12016/96/86-ONG-D4

K.C. KATOCH, Desk Officer

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 28 मई, 1986

का. आ. 2296 —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) 1957 अधिनियम, (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. सी-1(ई)/III/एफ आर./322-286 तारीख 12 फरवरी, 1986 का निरीक्षण, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, (राजस्व अनुभाग), कोयला एस्टेट, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001 के कार्यालय में या कलक्टर, नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में अथवा कोयला नियंत्रक, 1—काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर राजस्व अधिकारी, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोयला एस्टेट, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001 को भेजेगा।

अनुसूची

सावनेर परियोजना फेज-2

नागपुर कोयला क्षेत्र

जिला नागपुर (महाराष्ट्र)

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल सं.	तहसील	जिला	क्षेत्र हैक्टरों में	टिप्पणियां
1.	सावनेर	34	सावनेर	नागपुर	455.00	भाग
2.	उमरी (रीठी)	33	सावनेर	नागपुर	97.08	भाग
3.	बाधोडा	33	सावनेर	नागपुर	90.71	भाग
4.	आशेवाडा	33	सावनेर	नागपुर	237.78	सम्पूर्ण
5.	गुजर खेड़ी	33	सावनेर	नागपुर	328.00	भाग
6.	बुरूजवाडा	33	सावनेर	नागपुर	335.00	भाग
7.	पटका खेड़ी	33	सावनेर	नागपुर	425.00	भाग
8.	मालेगांव	32	सावनेर	नागपुर	25.00	भाग
9.	कोटोडी	30	सावनेर	नागपुर	95.00	भाग
10.	आवासा	31	कमलेश्वर	नागपुर	70.00	भाग
11.	बोरेगांव बुज	31	कमलेश्वर	नागपुर	130.00	भाग

कुल क्षेत्र : 2283.57 हैक्टर (लगभग)

या 5642.81 एकड़ (लगभग)

सीमा वर्णन :

क ख रेखा "क" बिन्दु से प्रारंभ होती है और बाधोडा तथा बोरेगांव (बुज) ग्रामों से गुजरती हुई बिन्दु "ख" पर मिलती है।

ख-ग-घ रेखा बोरेगांव (बुज) और आवासा ग्रामों से गुजरती हुई "घ" बिन्दु पर मिलती है।

घ-ङ	रेखा आदासा, पटकाखेडी, कोटोडी ग्रामों से गुजर कर "ङ" बिन्दु पर मिलती है ।
ङ-च	रेखा कोटोडी, पटकाखेडी, मालेगांव और बुरूजवाडा ग्रामों से गुजरती हुई "च" बिन्दु पर मिलती है ।
च-छ	रेखा बुरूजवाडा, गुजरखेडी सावनेर गांवों से गुजरती हुई सावनेर ग्राम में "छ" बिन्दु पर मिलती है ।
छ-ज	रेखा सावनेर ग्राम से गुजरती है, कोलर नदी पार करती है और उसी ग्राम में बिन्दु "ज" पर मिलती है ।
ज-क	रेखा सावनेर, उमरी (रीठी) और वाघोडा गांवों से होकर गुजरती है तथा वाघोडा ग्राम में प्रारंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है ।

[सं. 43015/4/86-सी.ए.]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 28th May, 1986

S.O.2296.— Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan bearing No. C-1(E)/III/FR/322-286 dated 12th February, 1986 of the area covered by this notification can be inspected at the office of the Western Coalfields Limited (Revenue Section), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440001 or at the Office of the Collector, Nagpur (Maharashtra) or at the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta.

All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Western Coalfields Limited, Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440001 within ninety days from the date of publication of this notification.

SCHEDULE

SAONER PROJECT PHASE-II
NAGPUR COALFIELDS
DISTRICT-NAGPUR (MAHARASHTRA)

Serial Number	Name of Village	Patwari Circle number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1.	Saoner	34	Saoner	Nagpur	450.00	Part
2.	Umari (Rithi)	33	Saoner	Nagpur	97.08	Part
3.	Waghoda	33	Saoner	Nagpur	90.71	Part
4.	Angewada	33	Saoner	Nagpur	237.78	Full
5.	Gujarkhedi	33	Saoner	Nagpur	328.00	Part
6.	Burujwada	33	Saoner	Nagpur	335.00	Part
7.	Patkakhedi	33	Saoner	Nagpur	425.00	Part
8,	Malegaon	32	Saoner	Nagpur	25.00	Part
9.	Kotodi	30	Saoner	Nagpur	95.00	Part
10.	Adasa	31	Kalmeshwar	Nagpur	70.00	Part
11.	Borgaon Bj.	31	Kalmeshwar	Nagpur	130.00	Part

TOTAL Area : 2283.57 hectares (approximately)
OR 5642.81 acres (approximately)

Boundary description

A—B Line starts from point 'A' and passes through villages waghoda and Boregaon (BJ) and meets at point 'B'.

B—C—D Line passes through villages Boregaon (BJ) and Adasa and Meets at point 'D'

D—E Line proceeds through villages Adasa, Patkakhedi, Katodi and meets at point 'E'.

E—F Line passes through villages Kotodi, Patkakhedi, Malegaon and Burujwada and meets at point ' F'.

F—G Line passes through villages Burujwada, Gujarkhedi, Saoner and meets in the Saoner village at point 'G'.

G—H Line passes through villages Saoner, then crosses Kolar River and meets in the same village at point 'H'.

H—A Line passes through villages Saoner, Umeri (Rithi) and Waghoda and meets at sta rting point 'A'.

[F. No. 43015/4/86-CA]

का. आ. 2297.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित परिक्षेत्र में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. सी-1(ई)/III/डी डी आर/309-1285 तारीख 27 दिसम्बर, 1985 का निरीक्षण, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), सीपत रोड, बिलासपुर-495001 (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में या कलक्टर, सम्बलपुर के कार्यालय में अथवा कोयला नियंत्रक, 1-काउन्सिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में किया जा सकता है ।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) सीपत रोड, बिलासपुर-495001 (मध्य प्रदेश) के कार्यालय को भेजेगा ।

अनुसूची

आई बी ब्लाक—1*
आई बी घाटी कोयला क्षेत्र
जिला सम्बलपुर (उड़ीसा)

क्रम सं.	ग्राम का नाम	बन्दोबस्त संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्र एकड़ों में	टिप्पणियां
1.	चिंगडीगुडा	11	झारसूगुडा	सम्बलपुर	483.52	भाग
2.	बेलपहाड़ यूनिट	10	लखनपुर	सम्बलपुर	800.00	भाग
3.	कुदोपालि	41	झारसूगुडा	सम्बलपुर	461.57	भाग
4.	ब्रजराजनगर यूनिट-1	40	झारसूगुडा	सम्बलपुर	42.00	भाग
5.	कटापालि	44	झारसूगुडा	सम्बलपुर	170.65	भाग
6.	बालपुट	45	लखनपुर	सम्बलपुर	734.17	सम्पूर्ण

कुल क्षेत्र 2691.91 एकड़
(लगभग)
या
1089.368 हैक्टर
(लगभग)

सीमा वर्णन :

च1-च2-च3: रेखा च1 बिन्दु से प्रारम्भ होती है और बेलपहाड़ यूनिट, चिंगडीगुडा और ब्रजराजनगर यूनिट-1 से गुजरती है तथा च3 बिन्दु पर मिलती है ।

च3-च4: रेखा ब्रजराजनगर यूनिट-1, कुदोपालि और कटापालि ग्रामों से गुजरती है और बिन्दु च4 पर मिलती है ।

च4 से च6: रेखा कटापालि ग्राम से होकर गुजरती है तत्पश्चात् कुटापालि ग्राम की सीमा के साथ-साथ बढ़ती हुई च 6–बिन्दु पर मिलती है ।

च6 से च10: रेखा बालपुर ग्राम की सीमा के साथ-साथ चलती है और च 10 बिन्दु पर मिलती है ।

च10-ध1: रेखा बालपुर और कोरारामा, बेलपहाड़ यूनिट और कोरारामा ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ चलती है तथा ध1 बिन्दु पर मिलती है।

ध1-च1: रेखा बेलपहाड़ यूनिट ग्राम से गुजरती है और उसी ग्राम में प्रारंभिक बिन्दु च1 पर मिलती है ।

[सं. 43015/1/86-सी. ए.]

S.O. 2297.—Whereas it appeals to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands in the locality mentioned in the schedule hereto annexed ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquistion and Development), Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein ;

The plan bearing No. C-1(E) /III/DDR/309-1285 dated the 27th December, 1985 of the area covered by this notification can be inspected at the office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section), Seepat Road, Bilaspur-495001 (Madhya Pradesh) or at the office of the Collector, Sambalpur or at the office of the Coal Controller, 1 Council House Street, Calcutta.

All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act in the office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section), Seepat Road, Bilaspur-495001 (Madhya Pradesh) within ninety days from the date of publication of this notification in the official Gazette.

SCHEDULE

IB BLOCKS—IX

IB VALLEY COALFIELD

DISTRICT SAMBALPUR (ORISSA)

Sl. Number	Name of village	Settlement number	Tahsil	District	Area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	5	6
1.	Chingriguda	11	Jharsuguda	Sambalpur	483.52	Part
2.	Belpahar Unit	10	Lakhanpur	Sambalpur	800.00	Part
3.	Kudopali	41	Jharsuguda	Sambalpur	461.57	Part
4.	Brajrajnagar Unit-1	40	Jharsuguda	Sambalpur	42.00	Part
5.	Katapali	44	Jharsuguda	Sambalpur	170.65	Part
6.	Balput	45	Lakhanpur	Sambalpur	734.17	Full
			TOTAL area :		2691.91 acres (approximatelyy) Or 1089, 368 hectares (approximately)	

Boundary description :—

F1—F2—F3.—Line starts from point F1 and passes through villages Belpahar Unit, Chingriguda and Brajrajnagar Unit-I and meets at point F-3

F—3—F—4—Line passes through villages Brajrajnagar Unit-I Kudopali and Katapali and meets at point F-4.

F—4 to F—6.—Line passes through village Katapali, then proceeds along the boundary of village Katapali and meets at point F-6.

F—6 to F—10.—Line passes along the boundary of village Balput and meets at point F-10.

F—10—D-1—Line passes along the common boundary of villages Balput and Kirarama, Belpahar Unit and Kirarama and meets at point D—1.

D-1—E1—FI—Line passes through village Belpahar Unit and meets in the same village at starting point F-1.

[No. 43015/1/86-CA]

शुद्धि पत्र

का. आ. 2298.—भारत के राजपत्र दिनांक 4 जनवरी, 1986 के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में पृष्ठ क्रमांक 31 से 32 पर प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना का.आ. सं. 30 दिनांक 17 दिसम्बर, 1985 में:—

पृष्ठ 32 पर :—

(1) ग्राम केसला में अंकित किए गए प्लाट संख्यांक में—

(अ) "83/2 भाग" के स्थान पर "83/2" पढ़ें।

(ब) "188 भाग" के स्थान पर "178 भाग" पढ़ें।

(2) सीमा वर्णन में रेखा क्र-क में "177, 168, 164" के स्थान पर "177, 171, 168, 161" पढ़ें।

[सं. 19/57/83-सी.एल./सी.ए.]

शुद्धि-पत्र

का. आ. 2299:—जबकि कोयलाधारी क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन जारी और भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में दिनांक 25 जनवरी, 1986 को पृष्ठ संख्या 247 से 248 पर प्रकाशित भारत के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना का. आ सं. 219 दिनांक 7 जनवरी, 1986 द्वारा केन्द्रीय सरकार के उस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अधिग्रहण करने का अपने आशय की सूचना दी थी।

और जबकि केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह लाया गया है कि राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन में छपाई की कुछ अशुद्धियां रह गई हैं। इसलिए अब उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है ।

पृष्ठ 247 पर :—

(1) अनुसूची में क्रम संख्या 3, स्तंभ क्षेत्र हैक्टरों में "41.303" के स्थान पर "41.301" पढ़िए ।

[सं. 19/79/82-सी. एल./सी. ए.]

शुद्धि-पत्र

का. आ. 2300.—भारत के राजपत्र तारीख 14 सितम्बर, 1985 के भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में पृष्ठ 4794 से 4795 पर प्रकाशित भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना का. आ. सं. 4267 तारीख 21 अगस्त, 1985 में :—

पृष्ठ 4794 पर—सीमा वर्णन में ।

(1) रेखा ड०-क में "गन्डघोकूरा" के स्थान पर "गन्डघोरा" पढ़िए ।

[सं. 43015/16/85-सी. ए.]

CORRIGENDUM

S.O. 2300.—In the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel, Mines and Coal (Department of Coal) No. S.O. 4267 dated the 21st August, 1985, published at pages 4794 to 4795 of the Gazette of India, Part-II Section 3, sub-section (ii) dated the 14th September, 1985;—

at page 4795 in the Schedule Sr. No. 3 village—

for 'Jamakani' read "Jamkani";

in the boundary description;

in Line D-E, for "Chingringuda" read "Chingriguda"; and in Line E-A, for "Gaandghora" read "Gandghora".

[No. 43015/16/85-CA]

शुद्धि-पत्र

का. आ. 2301.—जबकि कोयलाधारी क्षेत्र (अर्जन और वि अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उप-धारा के अधीन जारी और भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-ख (ii) में दिनांक 21 सितम्बर, 1985 की पृष्ठ संख्या 5068 से 5073 पर प्रकाशित भारत के भूतपूर्व इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना का. आ. सं. 4513 दिनांक 9 सितम्बर, 1985 द्वारा केन्द्रीय सरकार के उस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अधिग्रहण करने की अपने आशय की सूचना दी थी ।

और जबकि केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह लाया गया है कि साधारण राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन में छपाई की कुछ अशुद्धियां रह गई हैं । इसलिए, अब उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस संबंध में प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है ।

पृष्ठ 5069 पर :—

(क) ग्राम लोहसारा में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं में "842 भाग" के स्थान पर "846 भाग" पढ़िए ।

सीमा वर्णन में :—

(क) रेखा "ख-ग" में प्लाट सं. "707" में से होकर जाती है, के स्थान पर प्लाट सं. "797" पढ़िए ।

(ख) रेखा "घ-" में प्लाट सं. "1098" के स्थान पर "1099" पढ़िए ।

(ग) रेखा "ढ-ध" में "17 सितम्बर, 1962" के स्थान पर "17 सितम्बर, 1962" पढ़िए ।

(घ) रेखा "घ-न-प" में बिन्दु "क" पर मिलती है, के स्थान पर बिन्दु "प" पर मिलती है, पढ़िए ।

पृष्ठ 5070 पर :—

(च) ग्राम पडरीपानी में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं. में "भाग 42 भाग" के स्थान पर "42 भाग पढ़िए ।

(छ) ग्राम बिजुरी में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं. में "886 से 989" के स्थान पर "886 से 898" पढ़िए ।

सीमा वर्णन में :—

(ज) रेखा "च-छ" में प्लाट सं. "84/1, 89, 90, 96, 77, 60, 59, 57, 56, 42, 41" के स्थान पर "84/1, 89, 90, 96, 77, 75, 60, 59, 57, 56, 42, 41" पढ़िए ।

[फा. सं. 43015/17/85-सी. ए.]

समय सिंह, अवर सचिव

CORRIGENDA

S.O. 2301.—In the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel, Mines and Coal (Department of Coal) No. S. O. 4513 dated the 9th September, 1985, published in the Gazette of India, Part-II, section 3, sub-section (ii) dated the 21st September, 1985 at pages 5068 to 5073.

at page.—

(i) in para 2 for "Government of Indna" read "Government of India" and for "Governmet specified' read "Government specified".

(ii) in note-1 for "may be inspection" read "may be inspected".

(iii) in plot numbers to be acquired in village Lohsara in Plot Nos. for "821" read "821 part'.

at page 5072,—

(i) in the boundary description line R-S for "wide" read "vide";

(ii) in the boundary description line S-T-U for "S. N. No." read "S.O. No.";

(iii) in the boundary description line U-A for "numfier" read "numbers";

(iv) in the Schedule 'B' Sl. No. 1 in column No. 6 for "111.00" read "110.00 and for 'Koria" read "Korja".

(v) in the Schedule 'B Sl. No. 5 in column No. 4 for "645" read "845";

(vi) in Plot numbers to be acquired in village Korja in Plot Nos. for "102 part" read "103 part";

(vii) in Plot Nos. to be acquired in village Bijuri in plot Nos. for "447 part" read "477 part";

(viii) in the boundar description line F-G omit Plot No. 97;

(ix) In the boundary description line G-H for "Padripan" read "Padripani" and "Suther" read "Southern".

[No. 43015/17/85-CA]

SAMAY SINGH, Under Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 26 मई, 1986

आदेश

का. आ. 2302.—केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम 9 के उपनियम (2), नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) तथा नियम 24 के उपनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति द्वारा, भारत सरकार, इस्पात और खान-मंत्रालय (खान विभाग) के दिनांक 4 मई, 1982 के आदेश संख्या का. आ. 1840 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात् :—

कथित आदेश की अनुसूची में—

(क) "सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह ग से संबंधित भाग-1" शीर्षक के अन्तर्गत "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के केन्द्रीय मुख्यालय में पद" से संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के केन्द्रीय मुख्यालय में पद	वरिष्ठ उप महानिदेशक (कार्मिक) अथवा वरिष्ठ उपमहानिदेशक (कार्मिक) के न होने पर वरिष्ठ उपमहानिदेशक (प्रचालन कार्य)	वरिष्ठ उप महानिदेशक (कार्मिक) अथवा वरिष्ठ उपमहानिदेशक (कार्मिक) के न होने पर वरिष्ठ उपमहानिदेशक (प्रचालन कार्य)	सभी	महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

(ख) "सामान्य केन्द्रीय सेवा-समूह "ख" से संबंधित भाग-2" के अन्तर्गत "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के केन्द्रीय मुख्यालय में पद" से संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5
	भाग—2 केन्द्रीय सिविल सेवा (समूह घ)			
"भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के केन्द्रीय मुख्यालय में पद	निदेशक (कार्मिक) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	निदेशक (कार्मिक) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	सभी	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का वरिष्ठ उपमहानिदेशक (कार्मिक) या वरिष्ठ उपमहानिदेशक (कार्मिक) के न होने पर वरिष्ठ उपमहानिदेशक (प्रचालन)

[सं. ए-36019/1/86-खान 2]

जे. बी. मुनिराजुलु, अवर सचिव

MINISTRY OF STEEL & MINES

(Department of Mines)

New Delhi, the 26th May, 1986

ORDER

S.O. 2302.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9 clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 4 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby makes the following amendments to the Order of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines),) No. S.O. 1840, dated the 4th May, 1982, namely:—

In the Schedule to the Said Order—

(a) Under the heading "Part I relating to General Central Service Group "C" for the entries relating to "posts in the Central Headquarters of Geological Survey of India", the following entries shall be substituted, namely.—

1	2	3	4	5
"Posts in Central Headquarters of Geo-	Senior Deputy Director General (Personnel) or where	Senior Deputy Director General (personnel) or	All	Director General Geological Sur-

1	2	3	4
logical Survey of India	there is no Senior Deputy Director General (Personnel Senior Deputy Director General (Operations)	where there is no Senior Deputy Director General (Personnel), Senior Deputy Director General Operations).	vey of India."

(b) under the heading "Part II relating to General Central Service Group 'D' for the entry relating to "Posts in Central Headquarters of Geological Survey of India" for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5
Part II General Central Central Service (Group D)				
"Posts in Central Head quarters of Geological Survey of India	Director (Personnel) Geological Survey of India	Director (Personnel Geological Survey of India	All	Senior Deputy Director General (Personnel) or where there is no Senior Deputy Director General Senior (Personnel) Deputy Director General (Operations), Geological Survey of India."

[No. A-36019/1/86-M-2]
J.B. Munirajulu, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, 30 मई, 1986

का.आ. 2303.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंचार विभाग ने टाईसिंग नगर टेलीफोन केन्द्र, राजस्थान में दिनांक 24-06-1986 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-31/86-पी एच बी]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 30th May, 1986

S.O. 2303.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunication, hereby specifies 24-06-1986 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Raisingh Nagar Telephone Exchange, Rajasthan Telecom. Circle.

[No. 5-31/86-PHB]

का.आ. 2304.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड II के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंचार विभाग ने गंगाईकोण्डम तथा तानूर टेलीफोन केन्द्र तमिलनाडु में दिनांक 24-06-86 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-33/86-पी एच बी]
के.पी. शर्मा, सहायक महानिदेशक (पी एच बी).

S.O. 2304.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specifies 24-06-1986 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Gangaikondan and Manur Telephone Exchange, Tamil Nadu Circle.

[No. 5-33/86-PHB]

K. P. SHARMA, Asstt. Director General (PHB)

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 मई, 1986

का. आ. 2305.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए :—

1. मैसर्स हिमाचल प्लाईवुडस 58/3 केनिंग स्ट्रीट कलकत्ता-1 और इसका 43 बिपिन बिहारी गांगुली स्ट्रीट कलकत्ता-12 स्थित शो रूम

2. मैसर्स पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट फिस फारमरस डवलपमेन्ट एजेन्सी, हुचकुरा पो. ओ. एण्ड डिस्टी पुरुलिया

3. मैसर्स डी. एस. चक्रवर्ती एण्ड कम्पनी 1/1 सी/1 रामाकृष्णा समाधि रोड, कलकत्ता-54

4. मैसर्स श्री कृष्णा प्रोसेसिंग, 32 शहीद कृष्णा देव-लेन कलकत्ता-54

5. मैसर्स कलकत्ता आफसेट प्रेस, 13 एम/1 बी आरिफ रोड, कलकत्ता-67

6. मैसर्स ईस्टर्न इक्यूपमेन्ट इन्टरप्राइजिज, 4 चाम्मी चौक स्ट्रीट (फस्ट फ्लौर) कलकत्ता-72 और इसकी 11/2 ई चरीस्टोफर रोड, कलकत्ता-46 स्थित फैक्ट्री

7. मैसर्स एस. बी. एन्टर प्राइजिज 14 ए एस. एन. बनर्जी रोड, कलकत्ता-13

8. मैसर्स स्काई केयर अवियसन प्राइवेट लिमिटिड व्हाइट हाऊस चौथी मंजिल बी ब्लाक, 119 पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-16

9. मैसर्स पावर एण्ड आयलिड इक्यूपमेन्ट, मार्केन्टाइल बिल्डिंग (द्वितीय मन्जिल ई ब्लाक), 9/12 लाल बाजार स्ट्रीट कलकत्ता-1 और इसका 17/104, बुरोशिब टोला, मेन रोड कलकत्ता-38 तथा डेघजानी 17ए लेक व्यू रोड कलकत्ता-29 स्थित कारखाना और डिजाइन कार्यालय

10. मैसर्स हिटिंग हाऊस 31/1 नीमटोला घाट स्ट्रीट, कलकत्ता-6

11. मैसर्स लाइफ स्टाइल, 230ए, ए. जे. सी. बोस रोड, कलकत्ता-20

12. मैसर्स दामोदर सिमेन्ट एण्ड स्लेग लिमिटिड 6ए मिडलटन स्ट्रीट आठवीं मंजिल कलकत्ता-71 और इसकी उपकार गार्डन आसनसोल वेस्ट बंगाल स्थित फैक्ट्री

13. मैसर्स जितेन्द्रा नारायण रे इन्फेन्ट एण्ड नर्सरी स्कूल 58/1बी राजा दिनेन्द्र स्ट्रीट, कलकत्ता-6

14. मैसर्स शाटब्लास्टिंग एण्ड मैटलिंग कम्पनी, 10 क्लाइव रोड, कलकत्ता-1

15. मैसर्स हुगली कोओप्रेटिव लैण्ड डवलपमेन्ट बैंक लिमिटिड अगीपुरा लेन पो. ओ. चिनसुरा जिला हुगली तथा (1) पंडवा ब्रान्च (2) रिषाल ब्रान्च (3) धनिया खाली स्थित तीन ब्रान्चिज और जिला हुगली स्थित सब आफिस

16. मैसर्स सोनी रबड़ प्रोडेक्टस लिमिटिड गांव बाणाग्राम पो. ओ. रासपुंजा, 24 प्रगना वेस्ट बंगाल 4 प्रिन्सी स्ट्रीट कलकत्ता स्थित कार्यालय

17. मैसर्स क्रएटिव प्रोडक्टस (प्राइवेट) लिमिटिड, रामपुर बज बज रोड 24 प्रगना और इसका 2 गणेशचन्द्र एवेन्यू कलकत्ता-13 स्थित हैड आफिस

18. मैसर्स यूनाइटिड वाटर ट्रान्सपोर्ट, 11/2 पंडित मोतीलाल नेहरू रोड, बज बज, 24 परगना

19. मैसर्स नाथ इन्जिनियरिंग इन्डस्ट्रीज 2 इण्डिया एक्सचेंज पलेस कलकत्ता-1 और इसकी 194/1/4 जी. टी. रोड सालकिया हावड़ा स्थित फैक्ट्री

20. मैसर्स कुटीर उद्योग केन्द्र 58/3 दिपलाबी रास बिहारी बसु रोड कलकत्ता 1 और इसकी जेल रोड गोहाटी-1 (आसाम) स्थित शाखा

21. मैसर्स माउचक 41-डी सूर्य सेन स्ट्रीट कलकत्ता-9

22. मैसर्स जी. एल. एण्ड संस (मेडल प्रोडेक्टस) प्राइवेट लिमिटिड 5-ए रोबिनसन स्ट्रीट कलकत्ता-17 और लोहामन्डी दिल्ली-9 स्थित शाखा

23. मैसर्स डेल्टा मोटर्स (प्राइवेट) लिमिटिड 225 सी, आचार्य जगदीश बोस रोड (लेवर सरकुलर रोड) कलकत्ता-20

24. मैसर्स विधाता शिपिंग प्राइवेट लिमिटिड 71ई, हिन्दुस्तान पार्क कलकत्ता-29

25. मैसर्स इन्डस्ट्रियल पेन्टस मैन्यू फैक्चरिंग कम्पनी 22 ईस्ट टोपसिया रोड कलकत्ता-46

26. मैसर्स इन्टरनेशनल इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन बहेला इन्डस्ट्रियल इस्टेट (आर. आई. सी.) थाना माली नाशकर रोड कलकत्ता-60

27. मैसर्स बाला जी एग्रो इन्टरनेशनल, 60 प्रिन्सप स्ट्रीट, कलकत्ता-72

28. मैसर्स मोडर्न बीडी सप्लायरस, पोस्ट आफिस धुलिया जिला मुर्शिदाबाद (वेस्ट बंगाल) और एफ-8 न्यू सीलमपुर दिल्ली-53 स्थित सेल डिपो

अत: केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, की उप धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[एस-35017(8)/86 एस. एस-2]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 28th May, 1986

S.O. 2305.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of he Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the respective establishments, namely :—

1. M|S Himachal Plywoods, 58|3, Canning Street, Calcutta-1 including its show room at 43, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-12.

2. M|S Purulia District Fish Farmers' Develoooment Agency, Huchukura P. O. and Distt. Purulia.

3. M|S D. S. Chakrabarty and Company, 1|1C|1, Rama Krishna Samadhi Road, Calcutta-54.

4. M|S Sree Krishna Processing 32, Shib Krishna Daw Lane, Calcutta-54.

5. M|S Calcutta Offset Press, 13-M|1B Ariff Road, Calcutta-67,

6. M|S Eastern Equipment Enterprises, 4 Chandney Chowk Street (1st Floor) Calcutta-72 including its factory at 11/2E, Christopher Road Calcutta-46.

7. M/s. M.N.B. Enterprises, 14A, S. N. Banerjee Road, Calcutta-13.

8. M|s Skycare Avation Private Limited, White House, 4th Floor, B Block, 119 Park Street, Calcutta-16.

9. M/s. Power & Allied Equipments, Mercantile Building (2nd Floor, E Block) 9|12, Lall Bazar, Street, Calcutta-1, including its factory at 17|104, Buroshib Toola Main Road, Calcutta-38 and Design Office at Debjani-17, A Lake View Road, Calcutta-29.

10. M|s Heating House, 31|1, Nimtolla Ghat Street, Calcutta-6.

11. M/s. Life Style, 230A, A.J.C. Bose Road, Calcutta-20.

12. M|S Damodar Cement and Slag Limited, 6A, Middleton Street, 8th Floor, Calcutta-71, including its factory at Apkar Garden, Asansol, West Bengal.

13. M|S Jitendra Narayan Ray Infant and Nursery School, 58/1 B. Raja Dinendra Street, Calcutta-6

14. M|S Shotblasting and Metalling Co., 10, Clive Row, Calcutta.

15. M/s. Hooghly Co-operative Land Development Bank Ltd., Jugipura Lane, P.O. Chinsurah Distt. Hooghly, including its branches (1) Pandua Branch, (2) Haripal Branch and (3) Dhaniakhali Sub Office Distt. Hooghly.

16. M|S Soni Rubber Products Limited, Vill. Banagram P.O. Raspunja 24 Parganas, West Bengal, including its office at 4, Princep Street, Calcutta-72.

17. M|S Creative Products (P) Ltd., Rampur Budge Road, 24 Parganas, including its Head Office, 2 Ganesh Chandra Avenue. Calcutta-13.

18. M|S United Water Transport, 11|2 Pandit Moti Lal Nehru Road, Budge Budge, 24 Paraganas.

19. M|S Nath Engineering Industries, 2, India Exchange Place, Calcutta-1 including its Factory at 194|14, G. T. Road, Salkia Howrah, (West Bengal).

20. M|S Kutir Udyog Kendra 58|3, Biplabi Rash Behari Basu Road, Calcutta-1, including its Branch at Jail Road, Gauhati-1.

21. M|S Mouchak 41-D, Surya Sen Street, Calcutta-9.

22. M|S G. L. and Sons (Metal Products) Pvt. Ltd, 5-A, Robinson Street, Calcutta-17, including its Branch Office at Loha Mandi, Delhi. 9.

23. M|S Delta Motors (P) Ltd., 225-C Acharya Jagdish Bose Road, (Lower Circular Road), Calcutta-20.

24. M|S Vivada Shipping Pvt. Ltd., 71|E-Hindustan Park, Calcutta-29.

25. M|S| Industrial Paints Manufacturing Co., 22, East Topsia Road Calcutta-46.

26. M|S International Industrial Corporation, Behala Industrial Estate (R. I. C. Darmeli Nakar Road Calcutta-60.

27. M/s. Balaji Agro International, 10 Princep Street, Calcutta-72.

28. M|S Modern Biri Supplies, P.O. Dhulliyan Distt. Murshidabad, (West Bengal), including its sale Depot at H-8, New Seelampur.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S.35017(8)|8686-SS.II]

का. आ. 2306:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए :—

1. मैसर्स बरार फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन, 239/243 बरार हाउस, अब्दुल रहमान स्ट्रीट बम्बई-3

2. मैसर्स के वाल्वस एण्ड ट्यूब इन्जिनियर्स प्राईवेट लिमिटिड एम. जे. पटेल हाउस 177 नागदेवी स्ट्रीट, बम्बई-3

3. मैसर्स लिफ्टिंग टैकल्स एण्ड एप्लाईन्सेस, 277 नागदेवी स्ट्रीट बम्बई-3

4. मैसर्स इन्टरनेशनल ट्रेडिंग एण्ड कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड पोस्ट बाक्स नं. 7304 बम्बई-78

5. मैसर्स सलैक्ट्रोम पाउडर कोट्स शेड न. 3 प्लोट बार्ड नं. डबल्यू 3 पिम्परी इन्डस्ट्रीयल एरिया पूने-18

6. मैसर्स तीरीमुर्ती सहकारी बैंक लिमिटिड 1909 सदाशिव पथ पूने-30 शाखा पूने-77

7. मैसर्स श्री रामसंघ योगाश्रम, 27 विनसेंट स्क्वेयर स्ट्रीट नं॰ 2 दादर, बम्बई-14

8. मैसर्स कैलाश मन्दिर 56, सुलेमान कासम मिता बिल्डिंग दादा साहिब पालके रोड, दादर बम्बई-14

9. मैसर्स कलर इन्डिया प्रिन्टर्स एण्ड डिजाइनर्स सी./14 श्री राम इन्डस्ट्रियल स्टेट कटक रोड, वादला, बम्बई-31

10. मैसर्स सुशील इन्जिनियर्स ए-110 एच. ब्लाक एम.आई.डी.सी. पिम्परी पूने-18

11. मैसर्स आर.सी.जी. इन्स्ट्रूमेन्टस, पेट्रोस चैम्बर्स-58 मंगलवार पेथ पूने-11

12. मैसर्स विपुल इन्डस्ट्रीज, राईसमिल कम्पाउन्ड, मनपाड़ा रोड डोमबिवली, थाने

13. मैसर्स एल. आर. भीजवानी एण्ड एसोसिएट्स, 7 एम. जी. रोड, पूने-1

14. मैसर्स दी इन्डियन इकोनोमिक जर्नल डिपार्टमेन्ट आफ इकोनोमिक्स, बम्बई यूनिवर्सिटी कैम्पस, विद्यानगरी बम्बई-98

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है।

[एस-35018(7)/86 एस एस-II]

S.O. 2306.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishment namely,

1. M|S Barar Finance and Investment Corporation, 239| 243, Barar House, Abdul Rehman Street, Bombay-3.

2. M|S Kvalves and Tube Engineers Private Limited, M. J. Patel House, 177, Nagdevi Street. Bombay-3.

3. M|S Lifting Takcles and Appliances 277. Nagdevi Street. Bombay-3.

4. M|S International Trading and Construction Company Limited Post Box No. 7304, Bombay-78.

5. M/s. Selectron Powercoats, Shed No. 3, Plot No. W 3, Pimpri Industrial Area, Pune-18.

6. M|S Trimoorti Sahakari Bank Limited, 1909, Sadashiv Peth Pune-30 and its branch at Pune-37.

7. M|S Shri Ram Tirth Yogashram, 27, Vincent Square Street No. 2 Dadar, Bombay-14.

8. M|S Kailash Mandir, 56 Suleman Kasam Mitha Building, Dadasaheb Phalke Road, Dadar, Bombay-14.

9. M|S Colour India Painters and Designers, C|14 Shree Ram Industrial Estate, Katrak Road, Wadala, Bombay-31.

10. M|S Sushil Engineers, A-110, H, Block, M.I.D.C, Pimpri, Pune-18.

11. M|S R.C.G. Instruments Patole Chembers 58, Mangalwar Peth Pune-11.

12. M|S Vipul Industries, Rice Mill Compound, Manpada Road, Dombivli, Thane.

13. M|S L. R. Bhojwani and Associates, 7, M. G Road, Pune-1

14. M|S The Indian Economic Journal Department of Economics, Bombay University Campus, Vidyanagari Bombay-98.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby aplies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S-35018(7)|86-SS-II]

नई दिल्ली, 30 मई, 1986

का. आ. 2307:—केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 8 के खण्ड (क) के अनुसरण में श्री एच.एम.एस. भटनागर के स्थान पर श्री बादल राय, सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट किया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 8 के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 5290, दिनांक 4 नवम्बर, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "(केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 8 के खण्ड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट)" शीर्षक के नीचे मद 1 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"श्री बादल राय,
सचिव,
भारत सरकार,
श्रम मंत्रालय
नई दिल्ली।"

[संख्या यू-16012/5/86-एस.एस-I]

New Delhi, the 30th May, 1986

S.O. 2307.—Whereas the Central Government has, in pursuance of clause (a) of section 8 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Shri Badal Roy, Secretary to the Government of India, Ministry of Labour as Chairman of Standing Committee of the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri H. M. S. Bhatnagar;

Now, therefore, in pursuance of section 8 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. 5290 dated the 4th November, 1985, namely :—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the Central Government under clause (a) of section 8)", for the entry against Serial Number 1, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri Badal Roy,
Secretary to the Government of India,
Ministry of Labour,
New Delhi."

[No. U-16012 5|86-SS-I]

नई दिल्ली, 2 जून, 1986

का. आ. . . . :—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 4 के उप-पैरा (1) के अनुसरण में हिन्दुस्तान इलैक्ट्रो ग्राफाइट्स लिमिटेड, माण्डीदीप के प्रबन्धक (कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध) श्री बी. के. जेथलिया को मध्य प्रदेश राज्य की कर्मचारी भविष्य निधि क्षेत्रीय समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) दिनांक 28 जनवरी, 1984 में प्रकाशित भारत के तत्कालीन श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 292 दिनांक 9 जनवरी, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

अधिसूचना की क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5. श्री बी० के० जेथलिया,
प्रबन्धक (कार्मिक और औद्योगिक संबंध),
हिन्दुस्तान इलैक्ट्रो ग्राफाइट्स लिमिटेड,
माण्डीदीप, जिला-रेसैन.

[संख्या बी-20012/7/8-भ. नि.-II]

टिप्पणी:—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का. आ. 292 के रूप में प्रकाशित की गई थी तथा बाद में तारीख 19-4-1985 के का. आ. 1933 द्वारा संशोधन किया गया था।

New Delhi, the 2nd June, 1986

S.O. 2308.—In pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, the Central Government hereby appoints Shri. B. K. Jethlia, Managar (Personnel and Industrial Relations), Hindustan Electro Graphites Limited, Mandideep, as a member of the Regional Committee of the Employees' Provident Funds for the State of Madhya Pradesh and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) No. S.O. 292 dated the 9th January, 1984, published in the Gazette of India Part II, Section 3, subsection (ii) dated the 28th January, 1984, namely :—

In the said notification, against serial number 5 and enteries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"Shri. B. K. Jethlia,
Manager (Personnel and Industrial Relations),
Hindustan Electro Graphites Limited,
Mandideep. District Raisen."

[No. V. 20012|7|78-PF.II]

Note : The principal notification was published as S.O. No. 292 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Subsection (ii) and was subsequently amended by S.O. No. 1933 dated 19-4-1985.

का. आ. 2309.—मैसर्स गुजरात मिशीनरी मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटिड, पो. बा. नं. 1, कर्मसाद-388325 (गुजरात), (जी. जे./4499), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4677 तारीख 28-11-1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 24-12-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 23-12-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम को, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी का व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/280/83-पी. एफ. 2/एस एस-2]

S.O. 2309.—Whereas Messrs. Gujarat Machinery Manufacturers Limited, P.B. No. 1, Karamsad-388325 (Gujarat) (GJ/4499) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separae contribution or payment of premuim, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in contri bution of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4677 dated the 28-11-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 24-12-1986 upto and inclusive of the 23-12-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. Within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/280/83-PF. II (SS.II)]

का. आ. 2310.—मैसर्स अहमदाबाद श्री रामाकृष्णा मिल्स कम्पनी लिमिटिड, गोमतीपुर, अहमदाबाद, (जी. जे./268), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4043 तारीख 8-10-1984 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 29-10-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 28-10-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/83/83-पी. एफ.-2/एम एस-2]

S.O. 2310.—Whereas Messrs The Ahmedabad Shri Ramakrishna Mills Company Limited, Gomptipur, Ahmedabad (GJ/268) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2A) of section 17 of the employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said estblishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4043 dated the 5-10-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 29-10-1986 upto and inclusive of the 28-10-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nomnee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/183/83-PF. II (SS. II)]

का. आ. 2311.—मैसर्स रेल इंडिया टेक्नीकल एंड एकोनोमिक सर्विस लिमिटेड, नई देहली हाऊस, 27 बाराखंबा रोड, नई देहली (डी. एल./5633) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2315 तारीख 6-5-1983 के अनुसरण में और उससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 21-5-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 20-5-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिस से कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/112/83-पी.एफ-2/एस-2]

S.O. 2311.—Whereas Messrs Rail India Technical and Economic Service Limited, New Delhi House, 27 Barakhamba Road, New Delhi, (DL/5633) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2315 dated the 6-5-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 21-5-1986 upto and inclusive of the 20-5-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance corporation of India, and the policy is allowed to lapse the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/112/83-PF.II (SS. II)]

का. आ. 2312.—मैसर्स टमकूर को. आपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स सोसाइटीज यूनियन लिमिटेड, मालाप्पनहल्ली, बी-एच रोड, टमकूर-572101 (के.एन./6739) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952) (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3402 तारीख 30-7-1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 27-8-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 26-8-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटका को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटका के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशितो/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

S.O. 2312.—Whereas Messrs Tumkur Co-operative Milk Producers Societies Union Limited, Administrative Office, Mallasandra, B.H. Road, Tumkur-572101, (KN/6739) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said estabilshment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3402 dated the 30-7-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 27-8-1986 upto and inclusive of the 26-8-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, includng maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of ths exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/110/83-PF. II(SS II)]

का. आ. 2313—मैसर्स भारत इलैक्ट्रोनिक्स, 11 वीं, बन्दना, 11 टाल्सटाय मार्ग, नई देहली-110001 (डी. एल./1480), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1897 तारीख 30-3-1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 6-4-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 5-4-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त देहली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसान/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त देहली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बकाया राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर निश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/88/83-पी. एफ.-2/एस एस-2

S.O. 2313.—Whereas Messrs Bharat Electrical, 11/C, Vandhana, 11 Tolstoy Marg, New Delhi-110001 (DI./1480) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satified that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life nsurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conefrred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 1897 dated the 30-3-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Cenrtal Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 6-4-1986 upto and inclusive of the 5-4-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the colse of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the emnlovees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits availble to the emnloyees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admssible under the said Scheme.

7. Nothwitstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. Within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of ths exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/88/83-PF. II (SS.II)]

का. आ. 2314—मैसर्स प्रयास कास्टिंग लिमिटिड, पो. बो. नं. 3, आनन्द सजित्रा रोड, वल्लभ विद्यानगर, अहमदाबाद (जी. जे./4477) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3967 तारीख 1-10-1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 22-10-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 21-10-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशितों विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/159/83-/पी. एफ-2एस एस-2]

S.O. 2314.—Whereas Messrs Prayas Castings Limited, P.B. No 3, Anand Sajitra Road, Vallabh Vidhyanagar-388120 Ahmedabad (GJ/4477) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act)

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourto such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of hte said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3967 dated the 1-10-1983 and subject to the conditons specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 22-10-86 upto and inclusive of the 21-10-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such rturns to th Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer failed to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but, for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the date of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/159/83-PF. II (SS. II)]

का.आ. 2315.—मैसर्स दौलतराम धर्मबीर ओटो प्राइवेट लिमिटेड, 28, मोतिया खान, झण्डेवाला, नई दिल्ली (डी.एल./2707) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा निगम के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1894 तारीख 30-3-1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को 6-4-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 5-4-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त देहली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, देहली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय सत्वरता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/80/83-पी एफ-2/एस एस-2]
ए. के. भट्टाराई पी, अवर सचिव

S.O. 2315.—Whereas Messrs. Daulat Ram Dharambir Auto Private Limited, 28 Motia Khan, Jhandewalan, New Delhi (DL|2707) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurancse Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 1894 dated the 30-3-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 6-4-1986 upto and inclusive of the 5-4-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that hte benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under the Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reaon, the employer fails to pay the premium etc. Within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of calim complete in all respects.

[No. S-35014/80/83-PF. II (SS. II)]
A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 मई, 1986

का. आ. 2316 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, नैवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नैवेली के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, मद्रास के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-5-86 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 29th May, 1986

S.O. 2316.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Madras-600104 as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relatin to the management of Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli and their workmen, which was received by the Central Government on the 20th May, 1986.

ANNEXURE

BEFORE THIRU FYZEE MAHMOOD, B. Sc., B. L.,

Presiding Officer,
Industrial Tribunal, Tamilnadu,
Madras.

(Constituted by the Central Government)

Tuesday, the 6th day of May, 1986.

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 22 OF 1985

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli.)

BETWEEN

The workmen represented by
The General Secretary,
Neyveli Lignite Corporation Labour and
Staff Union (CITU), Behind Central Bus Stand,
Block 24, Neyveli-607801.

AND

The Chairman & Managing Director,
Neyveli Lignite Corporation Limited,
Neyveli-607801.

REFERENCE : Order No. L-19012(53)|84-D, IV(B), dated 20th April, 1985 of the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on this day for final disposal upon perusing the reference, claim and counter statements and all other connected papers on record and upon hearing of Thiru K. Tamil Mani and Miss Sathya Rao appearing for the Management and the Union being absent, this Tribunal made the following.

AWARD

This dispute between the workmen and the Management of Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli arising out of a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India in its Order No. L-1912(53)|84-D, IV(B), dated 20-4-1985 of the Ministry of Labour for adjudication of the following issue :

> "Whether the action of the management of Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli in denying Shri K. Murugaiyan, Operator Grade-I, the advancement and scale of pay of Operator Special Grade with effect from 1-1-1981 is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

(2) Parties were served with summons.

(3) The Petitioner Union filed its claim statement on 12-7-1985 putting forth the claim of the workmen. In repudation thereof, the Management filed their counter statement on 26-3-1986.

(4) Today when the dispute was called, the Union was absent and no representation was made on its behalf. The counsel for the Management was present.

(5) Hence the claim of the workmen is dismissed for default. No costs.

Dated, this 6th day of May, 1986.

[No. L-19012|53|84-D-IV(B)]
A. V. S. SARMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 30 मई, 1986

का. आ. 2317 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, केनरा बैंक के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण डिब्रूगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-5-86 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 30th May, 1986

S.O. 2317.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Dibrugarh as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Canara Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 20th May, 1986.

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL : ASSAM DIBRUGARH

PRESENT :

Sri N. Hazarika, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Dibrugarh.

In the matter of an industrial dispute between :
The management of Canara Bank, Gauhati.

—Vs—

Shri Dilip Kumar Sharma

Reference No. Central 1 of 1984

AWARD

The 23rd April, 1986

The Government of India, in exercise of the powers conferred by section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, as amended, referred an industrial dispute that arose between the parties named above to this Tribunal for adjudication No. L-120/308/81-D11 (A) dated September, 1983 The matters in dispute specified in the Schedule to the above notification are as follows :—

> "Whether the action of the management of Canara Bank Gauhati in regularising the services of Shri Dilip Kumar Sharma, Clerk, Fancy Baazr Branch, Gauhati with effect from 13-4-81 instead from 16-1-80, is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. On being called upon, the parties have filed their written statements and also in due course have examined one witness on the mangement's side and two witnesses including the workman on the other side. As per the written statement of management, in brief, in order to meet urgent shortage of staff due to delay on the part of the Banking Service Recruitment Board. Eastern Region, Calcutta Circle office of the management of Canara Bank appointed the workman Sri Dilip Kumar Sharma as a Clerk on temporary basis at the Gauhati Branch of the Bank on 17-7-79. Initially he was appointed for a period of six months with a break of 2-3 working days in between and thus Shri Sharma worked on the said temporary basis with effect from 17-7-79 to 12-10-79 and from 17-10-79 to 12-1-80 and so on till April, 1981. Thereafter with effect from 13-4-81 the workman was appointed as a regular staff with the permission of the Central Government and the Managing Director of the Bank. It is further stated in this written statement of the mangement that initial appointment

of the workman was temporary being covered by Clause 20-7 of the bipartite settlement of 19-10-66 (between India Bank Association and All India Bank Employees' Association). Such temporary appointment from time to time had to be made for want of candidates selected by the Banking Service Recruitment Board.

3. The other party, the Union representing the workman Sri Sharma, has contended in their written statement that the initial appointment of the workman on temporary basis from 17-7-79 till his appointment on permanent basis with effect from 13-4-81 could not be regarded as to have been made under clause 20.7 but under clause 20.8 of the bipartite settlement. It is to be noted herein that these clauses of the bipartite settlement have been reproduced in the written statement of either of the parties. The Union's contentions are that the workman was in fact all along appointed and engaged to discharge the works of a permanent nature and not against any vacancy caused by the absence of a particular permanent workman or to meet a temporary increase in work of any permanent nature as an additional workman. Whereas according to it, there were permanent vacancy in the Bank in the concerned cadre (clerical cadre), but to deprieve the workman from the advantages of a workman against permanent vacancy only he was not absorbed prior to his permanent appointment on 13-4-81. The Union's case is, therefore, that on expiration of a period of six months as on probation, the appointment of the workman should have been regularised on permanent basis with effect from 16-1-80 instead of 13-4-81.

Discussions and decisions :

4. In deciding the issue at hand it is first to be seen as to in which of the following clauses (No. 20.7 and 20.8) of the Bipartite Settlements referred to in the written statement of the parties the initial temporary appointment of the workman from time to time fall :

20.7." Temporary Employee" will mean a workman who has been appointed for a limited period for work which is of an essentially temporary nature or who is employed temporarily as an additional workman in connection with a temporary increase in work of a permanent nature and includes a workman other than a permanent workman who is appointed in a temporary vacancy caused by the absence of a particular permanent workman.

20.8 A temporary workman may also be appointed to fill a permanent vacancy provided that such temporary appiontment shall not exceed a period of three months during which the bank shall make arrangements for filling up the vacancy permanently. If such a temporary workman is eventually selected for filling up the vacancy, the period of such temporary employment will be taken into account as part of his probationary period.

5. As to the initial appointments of the workman from time to time, which are said to be temporary and his ultimate permanent appointment on 13-4-81, the very first averment in the written statement of the management of the bank runs as follows :

> "In order to meet the urgent shortage of staff due to delay on the part of the Banking Service Recruitment Board, Eastern Region, Calcutta Circle office appointed Sri Dilip Kumar Sharma on temporary basis for our Gauhati Branch, Assam on 17-7-79. Initially he was appointed for a period of 6 months with a break of 2-3 working days in between. He was selected from among the candidates sponsored by the District Employment Exchange. Mr. Sharma worked on temporary basis with effect from 17-7-79 to 12-10-79 and then again from 17-10-79 to 12-1-80. Subsequently he was appointed on temporary basis from 21-4-80 to 17-7-80 and again reappointed as temporary clerk from 21-7-80 to 16-10-80. He was again reappointed on temporary basis from 14-1-81 to 9-4-81. As the candidates were not available from the Banking Service Recruitment Board, the temporary period of appointment was extended from time to time till April' 81."

In the averments made in the second para. of this above written statement it is again submitted along with other things that 'for appointing Sri Sharma as temporary clerk, on the ground of non-availability of candidates from the Banking Service Recruitment Board we got the permission from the Government also'. (Under-lining is of this Tribunal.)

6. For qualifying the aforesaid averments with the sole purpose of showing that the initial appointments were temporary being against a temporary vacancy, the management have filed their written statement for the second time with the same very averments made in their first written statement only by adding the following averment in its para 6 :

> "6. It is not out of place to mention that the provisions of para 20.8 are not applicable to this case in as much as there was no permanent vacancy till the absorption of Sri D.K. Sharma. On 13-4-81 B.S.R.B was the agency authorised by the Government to recruit a staff for nationalised Bank. There were strick instructions from the Central Government not to appoint candidates other than those sponsored by the B.S.R.B. When B.S.R.B. was unable to provide our requirement immediately a temporary vacancy was created till the B.S.R. could sponsor candidates. Hence said Sri D. K. Sharma was appointed in temporary vacancy, so created by non-availability of hand for a temporary period, Necessary permission from competent authority to appoint candidate was sought. Subsequently again when B.S.R.B. could not fulfil the commitment the temporary vacancy was further created. At this stage the Bank was free to select a candidate other than Sri D. K. Sharma. When it was found that B.S.R.B. would not be able to give hands. On that day only the permanent vacancy got created. Accordingly Sri D. K. Sharma was absorbed in regular service of the Bank w.e.f. 13.4-1981."

7. In course of evidence, the management's only witness (M.W.1), the Manager of Staff Section (workman) Canara Bank, Calcutta Circle office states that the workman Sri Sharma was initially appointed as a temporary clerk under the provisions of para. 20.7 of the Bipartite Settlement dated 19-10-66 with the prior permission of the Banking Ministry from time to time vide the appointment letters (office copies) Ex. 1 to 7 and that all these appointments were made with breaks of a few days in between. It is, however, again said by the witness that the workman continued without break since 14-10-80 till he was appointed on permanent basis on 13-4-81. According to the witness, the Bank had no authority to absorb Sri Sharma permanently as there was no permission from the Ministry nor he was selected by the Recruiting Board prior to 13-4-86. From the depositions of the workman (U.W.1) and the Union's other witness (U.W.2), a clerk of the same Gauhati Branch of the Bank, it becomes clearly evident that even from before the first temporary appointment of the workman permanent vacancies more than one in this clerical cadre in the branch of the bank were there. The contentions made on behalf of the management that the initial appointment with breaks were made under clause 20.7 of the Bipartite Settlement, therefore, are found to be entirely untrue and the same must be treated to have been done under clause 20.8 only.

8. It is true, on the other hand, that the vacant post could not be filled up for non-availability of candidates selected by the Recruiting Board. But the management at the same time have failed to show as to how they could appoint the workman on permanent basis without being selected by the Recruiting Board by overriding the provisions of the Bipartite Settlement only with the permission of the Banking Ministry. The latter's authority to accord such permission apparently was not there. Again, if it was there, the management have failed to show it before the Tribunal by adducing any evidence whatsoever they have also failed to convincingly show that for allowing them to fill up the vacancy permanently atleast immediately on the expiration of the first period of three months of the temporary appointment of the workman as made mandatory in the clause 20.8 of the Bipartite Settlement they (the management) have made any representation either before the Selection Board or the Banking Ministry. It is, therefore, to be held that only for want of diligence of and for not taking timely steps by the management and for their attitude of having no regard to the Bipartite Settlement the permanent appointment of the workman was unjustly delayed beyond

three months from his initial appointment on 17-7-79. There can not be any dispute that by only allowing breaks from time to time as was done in the case of the workman, he could not have been rightly retained on temporary basis for about a period of 1 year 9 months till 13-4-86.

9. Consequent to the findings aforementioend, the workman is entitled to be regularised in his appointment on permanent basis with effect from 16-1-80 by treating the period of his service in the bank prior to this date as on probation as admittedly one in such assignment of a clerical post is to undergo probation for a period of six months. Accordingly the issue at hand in this reference is answered in favour of the workman Sri Dilip Kumar Sharma and this award is made to-day the 23rd April, 1986.

It is to be noted herein with regret that because of my remaining off from the Tribunal for an intervening period in between and for various other compelling reasons the award could not be given earlier.

N. HAZARIKA, Presiding Officer,
[No. L-12012/308/81-D.II(A)]

का. आ. 2318:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधसंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-5-86 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2318.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal New Delhi as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 15th May, 1986.

ANNEXURE

BEFORE SHRI G. S. KALRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I. D. No. 23/86

In the matter of dispute between :

Shri Matamber Tiwari, subordinate staff C/o. The General Secretary, Central Bank Staff Union, Central Bank Building, Chandni Chowk, Delhi.

Versus

The Assistant General Manager,
Central Bank of India,
Link House, 4, Bahadur Shah Zafar Marg.
New Delhi.

APPEARANCES :

Shri Tara Chand Gupta—for workman.
ShriB. N. Kak with Sh. D. D. Kapoor—for Management.

AWARD

The Central Government vide its order No. L-12012/88/85-D. II(A) dated 23-1-86 has referred the following dispute to this Tribunal under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 :

"Whether the action of the management of Central Bank of India in permanently stopping two increments of Shri Matamber Tiwari, subordinate staff and not paying him full pay and wages during enquiry on the basis of suspension order issued much before the commencement till conclusion of enquiry is justified ? If not, to what relief the workman entitled?"

2. Notice of the reference was sent to the respondent-Management. Today the representatives of the parties appeared and an application on behalf of the workman was filed by Shri Tara Chand Gupta, General Secretary, Central Bank Staff Union Delhi that the workman Shri Matamber Tiwari has since resigned from the services of the respondent-bank and is not available and the Union is not interested in pursuing this case. Hence this reference is closed and No Dispute award is given.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

May 7, 1986

G. S. KALRA, Presiding Officer
[No. L-12012/88/85-D. II(A)]
N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 30 मई, 1986

का. आ. 2319.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ट्रैवनकोर टिटैनियम प्रोडक्टस लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, तमिलनाडु, मद्रास के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22 मई, 1986 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 30th May, 1986

S.O. 2319.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Tamil Nadu, Madras as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Travancore Titanium Products Limited, Trivandrum and their workmen, which was received by the Central Government on the 22nd May, 1986.

ANNEXURE

BEFORE THIRU FYZEE MAHMOOD, B.Sc., B. L., PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU, MADRAS

(Constituted by the Central Government)

Wednesday, the 14th day of May, 1986

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 28 OF 1985

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workman and the Management of Travancore Titanium Products Limited, Kochuveli, Trivandrum).

BETWEEN

Shri T. Andrew Pereira,
Thyvilakam House, Vettucaud,
Trivandrum.

AND

The Managing Director,
Travancore Titanium Products Ltd.,
Kochuveli, Post Box-1, Trivandrum-695021.

REFERENCE :

Order No. L-29012(50)/84-D. III(B), dated 26-4-1985 of the Ministry of Labour, Government of India.

This dispute coming on this day for final disposal in the presence of Thiru B. S. Krishnan, Advocate for the Management and the workman being absent, upon perusing the reference, claim and counter statements and other connected papers on record, this Tribunal made the following.

AWARD

This dispute between the workman and the Management of Travancore Titanium Products Limited, Kochuveli, Trivandrum arising out of a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India in its Order No. L-29012(50)/84-D. III(B), dated 26-4-1985 of the Ministry of Labour for adjudication of the following issue :

"Whether the management of Travancore Titanium Products Ltd., Trivandrum was justified in removing Shri T. Andrew Pereira, Security Guard from service with effect from 13-10-80? If not, to what relief the workman is entitled?".

2. Parties were served with summons.

3. The Petitioner-Workman filed his claim statement on 1-8-1985 putting forth his claim. In repudiation thereof, the Management filed their counter statement on 8-10-1985.

4. When the dispute was posted today for enquiry on preliminary issue regarding the validity of the domestic enquiry, the workman was called and he was absent. His counsel was also not present. Management was present.

5. Hence the claim of the workman is dismissed for default. No costs.

Dated, this 14th day of May, 1986.

FYZEE MAHMOOD, Industrial Tribunal
[No. L-29012|50|84-D. III(B)]

का.आ. 2320.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, बड़ोदा की गुजरात रिफाइनरी के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, गुजरात, अहमदाबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20 मई, 1986 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2320.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Gujarat, Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Gujarat Refinery of M|s. Indian Oil Corporation Limited, Baroda and their workmen, which was received by the Central Government on the 20th May, 1986.

ANNEXURE

BEFORE SHRI C. G. RATHOD, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL

AT AHMEDABAD

Reference (ITC) No. 19 of 1985

ADJUDICATION

BETWEEN

Gujarat Refinery of Indian Oil Corporation, Jawahar Nagar, Baroda. —First Party

AND

The Workmen Employed Under it. —Second Party.

In the matter of effecting deductions from the wages of workmen for the period 1-8-84 to 3-8-84 is legal and justified.

APPEARANCES :

Shri R. P. Bhatt, Advocate, for the first party.
Shri P. R. Thakkar, Advocate, for the second party.

STATE : Gujarat. INDUSTRY : Oil. Ahmedabad.

AWARD

The Under Secretary to the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi by his order dated 22nd January, 1985, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) has referred the dispute to the Industrial Tribunal, Ahmedabad constituted by the State Government of Gujarat. The reference is as under :—

"Whether the action of the management of Gujarat Refinery of M|s. Indian Oil Corporation Limited, Baroda in effecting deductions from the wages of workmen for the period 1-8-84 to 3-8-84 is legal and justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?"

2. The file of this reference was received by this Tribunal on 9-9-1985. On receipt of the file by this Tribunal, the notices were issued to both the parties fixing the date as 24-9-1985. It appears that the statement of claim was, in the meantime, filed by the Union vide Ex. 2 and against this statement of claim, written statement was filed by the Gujarat Refinery vide Ex. 4 on 17-10-85.

3. It would be convenient to state only few facts of the said statement of claim here and they are as under : That there was no demand pending on 1-8-1984 with the Management for the deduction of wages, nor any strike notice was served by the Union. It is further stated in the statement of claim that only in the afternoon of 1-8-1984 the Central Industrial Security Force (C.I.S.F.) let loose the reign of terror at the main gate of refinery and forced the workers to stay away from the work place in the fear of loss and physical safety. It is also stated in the statement of claim that workers who were in the general shift and outside the main gate of the refinery during their lunch hours were brutally assaulted by the C.I.S.F. for no fault of employees. It is also stated in the statement of claim that this has created panic and tension in the minds of the workers and forced them to stay away from the scene. It is also stated that on this fateful day none of the operators left their work place on the completion of their regular duty hours. Therefore, it is clear that neither the workmen left their work place nor the union asked them to desert their work place. In fact, the circumstances did not allow them to go to their work place and hence they were forced to stay away from duty. It is the case of the Union that except in TPS in all other work places hundred percent working was observed. This can be verified from the records kept in the time office. Only in TPS, during the night shift of the 1-8-84 the officers officially took over the charges from the Power Plant Operators and relieved them officially in the early morning of 2nd August, 1984. The wages of 2 days were deducted for not attending the duty on 2nd & 3rd August, 1984, 24days wages were deducted for not attending duty after lunch hours of 1st, and full days of 2nd and 3rd August, 1984 and 3 days were deducted for not attending duty from 2nd shift from 1st August & 2nd & 3rd August. According to the Union, they could not report for duty on the above dates and shifts, due to the unfortunate and avoidable action by third party i.e. C.I.S.F. The Union gave strike notices on 23rd August, 1984 & 29th August, 1984 well before the payment day. But the Management ignored the very spirit of conciliatory proceedings and deducted the salary and this action of the Management is grossly violating the provisions of Labour Rules. It is, therefore, prayed by the Union that the Tribunal may declare the action of the Management as illegal and unjustified and grant such other relief as deemed fit.

4. Gujarat Refinery filed its written statement at Ex. 4 and in brief it is contended that the Corporation has framed standing orders for Gujarat Refinery, which apply to all workmen employed in Gujarat Refinery, that the employees of the Corporation resorted to sudden illegal strike without notice time from the afternoon of 1-8-1984 and continued to remain on strike till all the shifts of 3-8-84 on the alleged ground that some of the employees were assaulted by the staff of Central Industrial Security Force (C.I.S.F.). The case Gujarat Refinery is further that after great persuasion the employees resumed work from the morning shift of 4-8-84. It is further contended that Guiarat Refinery being a Public Utility Service, there can not be any justification for commencing a strike without giving notice in contravention of the provisions of law. It is further contended that the workmen took a unilateral action from second shift from 1-8-84 and by that action either absented themselves from work without permission or deserted place of work without handling over property the operating units to their relievers. It is further contended that the strike being a deliberate act on the part of the workmen, they must be prepared to take all its consequences and any demand for relief in the form of wages during the strike period is not normal legal relief, and it is invariably refused when the strike is forbidden by law or found to be otherwise unjustified. It is also contended that Ministry of Labour and Rehabilitation has declared Indian Oil Corporation as a 'controlled industry' and that section 22 read with 23 of the Industrial

Disputes Act clearly prohibit a strike by any person, employed in Public Utility Service and workmen will not be entitled to any payment of any wages during that period. It is the consistent policy of the Corporation that "no work no pay" and the action of the Management is neither punitive nor arbitrary as per the provisions of the Company's standing order.

5. The matter was fixed for hearing on 28-10-85, but none appeared for the Union on that day. A notice was served on both the sides fixing the date of hearing on 19-11-85 & on 19-11-85, one Mr. S. R. Patel appeared as he was authorised to represent on behalf of the Union and on his request time was granted till 3-12-85. Again on 3-12-85 the Dy. General Secretary of the Union sent an application that he would not be able to remain present on 3-12-85. Again time was granted and on 23-12-85 one Mr. Prakash R. Thaker an Advocate from Baroda was appointed by the Union vide ex. 10. He remained present on 10-1-86 and on 21-1-86, but did not remain present thereafter. Again a notice was served by Regd. A. D. fixing the hearing matter on 19-3-86. On that day, one Mr. M. C. Shah requested for time and a short date was granted. The matter was fixed on 2-4-1986. On that day the Union has not appeared and hence the matter was kept for orders.

6. It would be seen from what has been stated above that inspite of the fact that this was a time limit matter, the Union was informed by Regd. A. D. as per Ex. 8 to remain present on 19-11-85 and again it was informed by another Regd. letter dt. 27-2-86, The Union representative sought time on 19-3-86, but it did not care to remain present. The learned Advocate for the Union filed Vakalatnama, that is Ex. 10 but did not remain present except on 10-1-86 and on 21-1-86 and in the circumstances it appears that the Union is not interested in proceeding with this reference. The award was required to be given within a period of 6 month under section 10 (2-A) of the Industrial Disputes Act as per the order of reference. The papers were received by this Tribunal on 9-10-85. Moreover, the Union it appears did not remain present. Therefore, notices were required to be issued to the Union from time to time. The matter was also adjourned in the interest of justice. None of the parties remained present after 2-4-1986 and inspite of my awaiting till this date, no one from the Union side has appeared and moved this Tribunal with a view that the matter could be heard and decided on merits. It is not known exactly as to why the Union has not remained present. It appears that perhaps, it has choosen to remain absent, beause, no due notice as regards strike was given, but we are not concerned with that aspect of the matter at this stage as I am not considering the question on merits and in the circumstances, I am required to dismiss the reference as the Union it appears is not interested in proceeding with the same. There has been some delay in disposing of the reference because of the applications submitted by the parties and further on account of adjourning the matter in the interest of justice. I, therefore, pass the following order.

ORDER

The reference is dismissed on account of non-appearance of the Union. No order as to costs.

Ahmedabad, 17th April, 1986.

C. G. RATHOD, Presiding Officer
[No. L-30013/1/84-D. III(B)]
V. K. SHARMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 3 जून, 1986

का.आ. 2321.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक नेशनल डी पैरिस के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बंबई के पंचाट को प्रकाशित करती है।

New Delhi, the 3rd June, 1986

S.O. 2321.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Goverment Industrial Tribunal No. 1, Bombay as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Banque Nationale De Paris and their workmen.

Reference No. CGIT-16 of 1986

PARTIES :—Employers in relation to Banque National De Paris.

AND

their Workmen

APPEARANCES :—

For the Employer : Mr. P. Grandamy, General Manager,

For the Workmen : Mr. J. B. Gawde, Central Secretary, French Bank Staff Union.

INDUSTRY : Banking

STATE : Maharashtra

Bombay dated the 20th day of March, 1986.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by Order No. L-12011(7)/85-DIV dated 13th February, 1986 in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-Section (1) of Section 10 of the I.D. Act, 1947 (14 of 1947) referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute between the employers in relation to the management of Banque Nationale De Paris and their workmen in respect of the matters specified in the schedule mentioned below :—

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Banque Nationle De Paris, in relation to its establishment at Bombay, in not making the festival for the years 1984 as per practices prevailing the establishment for the last many years is justified ? If not, whether the workmen concerned are entitled for any relief ?"

2. To-day when the matter was called out parties filed their respective statements. I am satisfied that it is genuine. I accept the setilement and pass an Award in terms of the settlement. Award accordingly.

R. D. TULPULE, Presiding Officer.
[No. L-12011/7/85-D. IV (A)]
K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, BOMBAY
Reference No. CGIT 16 of 1986

BETWEEN

Banque Nationale De Paris
French Bank Building, Homji
Street, Bombay—400001.

—First Party

AND

Their Workmen—Second Party.

In the matter of making the payment of Festival Advance

STATEMENT OF MEMORANDUM

May it Please the Hon'ble Court :

(1) It is hereby agreed by and between the parties as follows in respect of Festival Advance.

(2) The Festival Advance will be paid to all its employees working in Bombay branches by the management of Banque Nationale De Paris Bombay, in the following manner :

(a) 25 per cent of gross salary at the time of Ganapati Festival repayable in four equal instalments starting from the salary of September to December of the same year.

(b) 75 per cent of gross salary at the time of Diwali festival repayable in eight equal instalments starting from the salary of January to August of the next year.

c) Both the above advances (a and b above) will be at least three weeks in advance in order to make necessary purchases and preparations for the festivals.

(d) No interest will be charged on festival advance.

(e) This will Commence in 1986.

(3) In view of the above agreement, both the parties most humbly request the Hon'ble Tribunal to treat this matter as settled and pass necessary order in the matter.

(Mr. P. GRANDAMY)
General Manager,
Banque Nationale de Paris,
Bombay.
Dated : 20th March, 1986.

J. B. GAWDE, Gen. Secy.
French Bank Staff Union.

नई दिल्ली, 4 जून, 1986

का.आ. 2322.—बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम 3 के उप नियम (i) और नियम 4 के उप नियम (i) के साथ पठित बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 61) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, दिनांक 3 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3(ii) के पृष्ठ संख्या 588-591 पर प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 665 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना में क्रमांक संख्या 28 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

28. "श्रीमती सरोजनी एम. कुश
कार्यकारी निदेशक,
पी.वी.एस. बीड़ी प्राइवेट लिमिटेड,
पी.वी.एस. सदन, कोदियलबेल,
पोस्ट बाक्स संख्या 707-मंगलौर 575003

[सं. यू-23011/1/83-डब्ल्यू-II (सी)]

New Delhi, the 4th June, 1986

S.O. 2322.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 (61 of 1976) read with sub-rule (1) of rule 3 and sub-rule (1) of rule 4 of the Beedi Workers Welfare Fund Rules, 1978, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification number S. O. 665 published at pages 588-591 of part II Section 3(ii) of the Gazette of India dated 3rd March, 1984.

In the said notification, against serial number 28, the following shall be substituted namely :—

**28. Mrs. Sarojini M. Kushe,
Executive Director,
P.V.S. Beedis Private Ltd.,
Post Box No. 707,
Mangalore-575003.**

[No. U-23011/1/83-W. II (C)]

नई दिल्ली, 6 जून, 1986

का.आ. 2323—केन्द्रीय सरकार, सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1984 के नियम 3 के उप नियम (2) (क) के साथ पठित सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 (1981 का 33) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम के प्रशासन से उद्भूत होने वाले ऐसे मामलों पर, जो उसे निर्दिष्ट किए जाएं, जिनके अन्तर्गत सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि की प्रयोज्यता से संबंधित मामले भी हैं, केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए तुरन्त निम्न प्रकार एक सलाहकार समिति का गठन करती है, अर्थात् :—

अध्यक्ष	श्री तरुण मजुमदार, निर्माता-एवं-निदेशक, कलकत्ता
उपाध्यक्ष	श्री तेजिन्द्र धवन, कल्याण आयुक्त।
सदस्य	(1) अवर सचिव (फिल्म), सूचना और प्रसारण मंत्रालय
	(2) उप-निदेशक (फिल्म) सूचना विभाग और सांस्कृतिक मामले, पश्चिम बंगाल सरकार
	(3) श्री अभीम पाल, कलकत्ता, (फिल्म निर्माताओं के प्रतिनिधि)
	(4) डॉ. भावेन्द्र नाथ साईका, निर्माता-निर्देशक-लेखक, (फिल्म निर्माताओं के प्रतिनिधि)
	(5) श्री जे पुरकायस्थ, कलकत्ता, सिनेमा कर्मकारों के प्रतिनिधि)
	(6) सुश्री नंदिता सन्याल, सिने एडीटर्स गिल्ड, कलकत्ता सिनेमा कर्मकारों के प्रतिनिधि)
सदस्य सचिव	: कल्याण आयुक्त

2. उक्त सलाहकार समिति का मुख्यालय कलकत्ता होगा।

3. पदेन सदस्यों से भिन्न अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

[यू. 18025/1/83-कल्याण 4]
एन. एन. भत्ता प्रसाद, सचिव

New Delhi, the 6th June 1986.

S.O. 2323.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Cine-Workers Welfare Fund Act, 1981 (33 of 1981) read with sub rule (2) (a) of rule 3 of Cine Workers Welfare Fund Rules, 1984, the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee to advise the Central Government on matters arising out of the administration of the aforesaid Act as may be referred to it by the Central Government including matters relating to the application of the Cine-Workers Welfare Fund, as under, with immediate effect namely:—

Chairman	: Shri Tarun Majumdar, Producer-cum-Director, Calcutta.
Vice-Chairman	: Shri Tejindra Dhawan, Welfare Commissioner.
Members	: (1) Under Secretary (Films) Ministry of Information & Broadcasting
	(2) Deputy Director of Films, Department of Information & Cultural Affairs, Government of West Bengal.
	(3) Shri Abhim Pal, Calcutta (Representative of film producers)
	(4) Dr. Bhabendra Nath Saika, Producer-Director-Writer (Representative of film Producers)
	(5) Shri J. Purkayastha Calcutta, (Representative of Cine-Workers)

(6) Ms. Nandita Sanyal,
Cine Editors' Guild, Calcutta.
(Representative of Cine-Workers)

Member-Secretary — Welfare Administrator.

2. The headquarters of the Advisory Committee will be at Calcutta.

3. The tenure of the members other than ex-officio members shall be for a period of three years.

[U-18025/1/86-W.IV]
S.S. BHALLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 जून, 1986

आदेश

का.आ. 2324.—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 22ख की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 22 के खण्ड (क) के अधीन अपराधों के संबंध में न्यायालय में शिकायतें करने की मंजूरी देने के लिए संयुक्त मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) को प्राधिकृत करती है।

[संख्या: एस-32025/18/85-डब्ल्यू.सी. (एम.डब्ल्यू.)]
पी.राघवन, निदेशक

New Delhi, the 6th June, 1986

ORDER

S.O. 2324.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 22B of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government hereby authorises the Joint Chief Labour Commissioner (Central) to sanction the making of complaints in Court in respect of offences under clause (a) of section 22 of the said Act.

[No. S. 32025/18/85-WC(MW)]
P. RAGHAVAN, Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986